झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा
पंचम (बजट) सत्र

वर्ग-03

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न बुधवार,दिनांक- 26 फाल्गुन,1937 (श0) / 16 मार्च, 2016 (ई0) को झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे:-

क्रमांक	विभागों को भेजी गई सां.सं.	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
1281.	न0-39	श्री सुखदेव भगत	तालाब का जीर्णोद्धार।	नगर विकास	22.02.16
1282.	ग्राम-170	श्रीमती निर्मला देवी	प्रखण्ड का निर्माण।	ग्रामीण विकास	29.02.16
1283.	न0-30	श्रीमती गंगोत्री कुजूर	चैम्बर का गठन।	नगर विकास	16.02.16
1284.	न0-56	श्री जयप्रकाश भाई पटेल	नगर परिषद् से हटाना।	नगर विकास	04.03.16
1285.	पेय-69	श्री योगेन्द्र प्रसाद	योजना का निर्माण।	पेयजल एवं स्वच्छता	25.02.16
1286.	न0-29	श्रीमती गंगोत्री कुजूर	तालाब को अतिक्रमण से मुक्त करना।	नगर विकास	16.02.16
1287.	ग्राम-152	श्री आलमगीर आलम	अवधि विस्तार करना।	ग्रामीण विकास	25.02.16
1288.	पेय-70	श्री योगेन्द्र प्रसाद	योजना चालू करना।	पेयजल एवं स्वच्छता	25.02.16
1289.	ग्राम-175	श्री हरिकृष्ण सिंह	पथों का निर्माण।	ग्रामीण विकास	04.03.16
1290.	ग्राम-87	श्री पौलुस सुरीन	अभियंता पर कार्रवाई।	ग्रामीण विकास	14.02.16
1291.	ग्राम-92	श्री जानकी प्रसाद यादव	पुल का जीर्णाद्धार।	ग्रामीण विकास	14.02.16
1292.	पेय-72	श्री कुणाल षाड़ंगी	नियमीतीकरण करना।	पेयजल एवं स्वच्छता	26.02.16
1293.	ग्राम-166	श्री जयप्रकाश भाई पटेल	समायोजित करना।	ग्रामीण विकास	10.03.16
1294.	न0-03	श्री जगरनाथ महतो	पंचायत में शामिल करना।	नगर विकास	12.02.16
1295.	ग्राम-161	श्री कुणाल षाड़ंगी	सीधी भर्ती करना।	ग्रामीण विकास	29.02.16
1296.	ग्राम-90	डॉ0 इरफान अंसारी	सड़क कार्य पूर्ण करना।	ग्रामीण विकास	14.02.16
1297.	पेय-77	श्रीमती विमला प्रधान	जलमीनार का निर्माण।	पेयजल एवं स्वच्छता	04.03.16
1298.	पेय-10	श्री आलोक कु0 चौरसिया	चापाकल लगाना।	पेयजल एवं स्वच्छता	12.02.16
1299.	पथ-75	श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी	प्रोन्नति देना।	पथ निर्माण	08.03.16

क्र0पृ030/—

01	02	03	04	05	06
	1300.ग्राम-136	श्री दीपक विरूआ	पथ का निर्माण।	ग्रामीण विकास	22.02.16
	1301.पथ-56	श्री निरल पुरती	पथ का निर्माण।	पथ निर्माण	18.02.16
	1302.ग्राम-169	श्री दशरथ गागराई	कार्य पूर्ण करना।	ग्रामीण विकास	29.02.16
	1303.न0-50	श्री निर्भय कु0 शाहाबादी	आवंटन देने का विचार।	नगर विकास	29.02.16
	1304.पेय-49	श्री निरल पुरती	कर्मियों के विरुद्ध। कार्रवाई।	पेयजल एवं स्वच्छता	18.02.16
	1305.ग्राम-109	श्री रामकुमार पाहन	सड़क की मरम्मति।	ग्रामीण विकास	18.02.16
	1306.न0-52	श्री शिवशंकर उराँव	दोषियों पर कार्रवाई।	नगर विकास	29.02.16
	1307.पेय-71	श्री मनीष जयसवाल	स्वीकृत्यादेश देना।	पेयजल एवं स्वच्छता	29.02.16
	1308.भ-08	श्रीमती जोबा मांझी	मूलभुत सुविध देना।	भवन निर्माण	17.02.16
	1309.पेय-79	श्री राजकुमार यादव	अधिकारियों को दंडित करना।	पेयजल एवं स्वच्छता	08.03.16
	1310.पेय-54	श्री जगरनाथ महतो	पेयजलापूर्ति कराना।	पेयजल एवं स्वच्छता	22.02.16
	1311.न0-42	श्री फूलचन्द मण्डल	पथ का निर्माण।	नगर विकास	25.02.16
	1312.न0-57	श्री चमरा लिण्डा	कानून के तहत कार्य करना।	नगर विकास	08.03.16
	1313.ग्राम-171	श्री अरूप चटर्जी	कार्रवाई करना।	ग्रामीण विकास	01.03.16
	1314.परि-15	श्री सुखदेव भगत	नियुक्ति पूर्ण करना।	परिवहन	25.02.16
	1315.न0-48	श्री रामचन्द्र सहिस	साफ-सफाई सुनिश्चित करना।	नगर विकास	25.02.16
	1316.ग्राम-83	श्री जानकी प्रसाद यादव	पुल का निर्माण।	ग्रामीण विकास	14.02.16
	1317.ग्राम-125	श्री अशोक कुमार	बकाये वेतन का भुगतान।	ग्रामीण विकास	17.02.16
	1318.पेय-26	डॉ0 इरफान अंसारी	दोषियों पर कार्रवाई।	पेयजल एवं स्वच्छता	14.02.16
	1319.ग्राम-145	श्रीमती गीता कोड़ा	सड़क का भौतिक सत्यापन।	ग्रामीण विकास	25.02.16
	1320.न0-54	श्री अरूप चटर्जी	नाली का निर्माण।	नगर विकास	29.02.16
	1321.ग्राम-110	श्री रामकुमार पाहन	टेंडर प्रकिया शुरू करना।	ग्रामीण विकास	16.02.16
	1322.पेय-58	श्री फूलचन्द मण्डल	धापाकल स्वीकृत करना।	पेयजल एवं स्वच्छता	25.02.16
	1323.ग्राम-167	श्री ताला मराण्डी	नाली का निर्माण।	ग्रामीण विकास	29.02.16
	1324.न0-41	श्री अमित कुमार	स्थल का सौन्दर्यीकरण।	नगर विकास	22.02.16
	1325.पथ-71	श्री रामचन्द्र सहिस	सड़क का चौड़ीकरण।	पथ निर्माण	29.02.16
	1326.परि-19	श्री बिरंची नारायण	बस का परमीट देना।	परिवहन	29.02.16
	1327.पेय-78	श्री गणेश गंझू	काली सूची में डालना।	पेयजल एवं स्वच्छता	08.03.16
	1328.न0-55	श्री ग्लैन जोसेफ गालस्टन	नाली का निर्माण।	नगर विकास	04.03.16
	1329.ग्राम-129	श्री अमित कुमार	कार्रवाई करना।	ग्रामीण विकास	22.02.16
	1330.न0-11	श्री आलोक कु0 चौरसिया	पार्क का सौन्दर्यीकरण।	नगर विकास	12.02.16
	1331.ग्राम-176	श्री शशिभूषण सामाइ	कार्रवाई करना।	ग्रामीण विकास	04.03.16
	1332.ग्राम-160	श्री निर्भय कु0 शाहाबादी	कार्यालय चालू करना।	ग्रामीण विकास	29.02.16
	1333.न0-58	प्रो0 स्टीफन मराण्डी	रिक्त पद पर नियुक्ति।	नगर विकास	08.03.16
	1334.ग्राम-135	श्री दीपक विरूवा	पथ की मरम्मति।	ग्रामीण विकास	22.02.16

कृ0पृ030/-

01	02	03	04	05	06
1335.	पेय-35	श्री योगेश्वर महतो	पेयजलापूर्ति करना।	पेयजल एवं स्वच्छता	16.02.16
1336.	ग्राम-118	श्रीमती जोबा मांझी	पुलिया का निर्माण।	ग्रामीण विकास	17.02.16
1337.	ग्राम-85	श्री पौलुस सुरीन	मूलभूत सुविधा देना।	ग्रामीण विकास	14.02.16
1338.	ग्राम-173	श्रीमती विमला प्रधान	एस.एच.जी. मे शामिल करना।	ग्रामीण विकास	04.03.16
1339.	पथ-70	श्री ताला मराण्डी	सड़क का निर्माण।	पथ निर्माण	09.02.16
1340.	ग्राम-101	श्री योगेश्वर महतो	सड़कों की मरम्मति।	ग्रामीण विकास	16.02.16
1341.	पथ-74	श्री शशिभूषण सामाइ	निर्देश जारी करना।	पथ निर्माण	04.03.16
1342.	ग्राम-146	श्रीमती गीता कोड़ा	दोषियों पर कार्रवाई।	ग्रामीण विकास	25.02.16
1343.	पथ-69	श्री मनीष जयसवाल	मुआवजा का भुगतान।	पथ निर्माण	29.02.16
1344.	ग्राम-174	श्री केदार हाजरा	भवन का निर्माण।	ग्रामीण विकास	04.03.16
1345.	पेय-59	श्री आलमगीर आलम	चापाकल की मरम्मति।	पेयजल एवं स्वच्छता	25.02.16
1346.	पेय-76	श्री नागेन्द्र महतो	योजना स्वीकृत करना।	पेयजल एवं स्वच्छता	02.03.16
1347.	ग्राम-172	श्री दशरथ गागराई	सड़क का निर्माण।	ग्रामीण विकास	02.03.16

राँची,
दिनांक-16 मार्च,2016(ई0)।

विनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या-झा0वि0स0(प्रश्न)-05/15-2196/वि0स0,राँची,दिनांक-12/3/,2016ई0।

प्रतिलिपिः- झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/मुख्यमंत्री/अन्य मंत्रिगण/मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.03.16
(अनिल कुमार)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या-झा0वि0स0(प्रश्न)-05/15-2196/वि0स0,राँची,दिनांक-12/3/,2016ई0।

प्रतिलिपिः- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/निजी सहायक,सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/प्रभारी सचिव महोदय,अपर सचिव एवं संयुक्त सचिव (प्रश्न प्रभारी) को सूचनार्थ प्रेषित।

12.03.16
(अनिल कुमार)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या-झा0वि0स0(प्रश्न)-05/15-2196/वि0स0,राँची,दिनांक-12/3/,2016ई0।

प्रतिलिपिः- कार्यवाही शाखा/आश्वासन समिति शाखा एवं वेबसाईट शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

12.03.16
(अनिल कुमार)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

12/3/16

राजेन्द्र/-

तालाब का जीर्णोद्धार ।

1281. श्री सुखदेव भगत--क्या मंत्री, नगर विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि लोहरदगा शहर में ब्रिटिश काल में निर्मित बड़ा तालाब की स्थिति आज गंदगीपूर्ण एवं जर्जर हो गयी है;

(2) क्या यह बात सही है कि बड़ा तालाब लोहरदगा की हृदयस्थली में एक गौरवपूर्ण स्पॉट है जिसके जीर्णोद्धार एवं सुन्दरीकरण की आज अत्यंत जरूरत है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित बड़ा तालाब के साफ-सफाई, जीर्णोद्धार एवं सुन्दरीकरण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री- (1) स्वीकारात्मक है ।

(2) स्वीकारात्मक है ।

(3) स्वीकारात्मक है ।

बड़ा तालाब के साफ-सफाई, जीर्णोद्धार एवं सुन्दरीकरण कराने के लिए Mass N Void design Consultant, New Delhi-110017 को नामित किया गया है तथा DPR तैयार कराया जा रहा है ।

1282

दिनांक–16.03.2016 को श्रीमती निर्मला देवी, माननीया स0 वि0 स0 द्वारा सदन में उठाये जाने वाले तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम–170

तारांकित प्रश्न	उत्तरदाता– माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग
1. क्या यह बात सही है कि रामगढ़ जिलान्तर्गत पतरातु प्रखण्ड के पंचायत कंडेर, पीरी, दुर्गी, साँकी, पाली, बारीडीह, घोरधरा, चिकोर, देवरिया, जवाहर नगर, भुरकुण्डा, सुन्दर नगर, पटेल नगर, सौन्दा डी, बुधबाजार दो तल्ला, बुधबाजार ईमलीगाछ, बुधबाजार बीफ हाउस, लपंगा एवं कुर्से पंचायत के ग्रामीणों को मुख्यालय जाने में काफी दूरी पड़ता है,	प्रश्नाधीन पंचायतों में मात्र 3 पंचायतों की दूरी पतरातु प्रखण्ड मुख्यालय से 30–35 कि0मी0 है। शेष पंचायतों की दूरी 25 कि0मी0 से कम 5–25 कि0मी0 है।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित पंचायतों को अलग कर भुरकुण्डा को नया प्रखण्ड बनाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	सरकार के संकल्प सं0–5495 दि0–16.10.2015 द्वारा प्रखण्डों के गठन/सृजन हेतु कम–से–कम 18 पंचायत का मापदण्ड निर्धारित है। प्रश्नगत भुरकुण्डा प्रखण्ड के अन्तर्गत सृजन के लिए 10 पंचायत आते हैं, जो निर्धारित अर्हता को पूर्ण नहीं करता है। जो तीन पंचायतें 25 कि0मी0 से ज्यादा दूरी पर हैं उन्हे निकटवर्ती प्रखण्ड से मिलाने का प्रस्ताव मंगा कर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक–1–वि0स0–19 (बी0)/2016/ग्रा0वि0 1513 राँची, दिनांक– 15·3·16

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झा0 वि0 स0 सचिवालय को उनके ज्ञाप–1805 दिनांक–29.02.2016 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/3/16

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–1–वि0स0–19 (बी0)/2016/ग्रा0वि0 1513 राँची, दिनांक– 15·3·16

प्रतिलिपि– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग) के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

15/3/16

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–1–वि0स0–19 (बी0)/2016/ग्रा0वि0 1513 राँची, दिनांक– 15·3·16

प्रतिलिपि :– विभागीय प्रशाखा–4 को उत्तर सामग्री की 200 प्रतियाँ विधान सभा सचिवालय झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने हेतु सूचनार्थ।

15/3/16

सरकार के अवर सचिव।

चैम्बर का गठन ।

*1283. श्रीमती गंगोत्री कुजूर--क्या मंत्री, नगर विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-50 में नगरपालिका परिषदों का राज्य चैम्बर गठित करने का प्रावधान है;

(2) क्या यह बात सही है कि अब तक राज्य में नगरपालिका परिषद का राज्य चैम्बर गठित नहीं किया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य में नगरपालिका परिषद का राज्य चैम्बर गठित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री- (1) स्वीकारात्मक है ।

(2) स्वीकारात्मक है ।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-50 में किये गये प्रावधान के आलोक में "स्टेट चैम्बर ऑफ कौंसिल्स" (राज्य की नगरपालिकाओं का सदन) के गठन हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, जिसके विधिवत् अधिसूचित किए जाने के उपरांत ही अग्रेतर कार्रवाई करना संभव हो सकेगा ।

(1284)

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा से प्राप्त दिनांक–16.03.16 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–न0–56 का उत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि रामगढ जिला अन्तर्गत रामगढ़ नगर परिषद् में शामिल किये गये गाँवों में से अधिकतर गाँव **(90 प्रतिशत)** कृषि पर आश्रित है ;	अस्वीकारात्मक ।
2.	क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित तथ्यों के आलोक में कृषि पर आश्रित उन सभी गाँवों को चिन्हित कर नगर परिषद से हटाने की कार्रवाई करेगी ;	इस खण्ड का उत्तर कंडिका एक में सन्निहित है।
3.	यदि उक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इन बिन्दुओं पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों ?	रामगढ़ नगर परिषद का गठन सभी प्रकार की विहित प्रक्रियाओं को अपनाते हुए विभागीय अधिसूचना सं0–624, दिनांक–15.02.15 के द्वारा किया गया है। उक्त क्षेत्र से किसी भी गांव को अलग किए जाने का किसी प्रकार का प्रस्ताव विचारणीय नहीं है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक :–8 / तारांकित / 115 / 2016 / न0वि0 1464 राँची, दिनांक :– 15/03/16

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके पत्रांक–2032, दि0–04.03.16 के आलोक में उत्तर सामग्री की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15.03.16

सरकार के अवर सचिव।

योजना का निर्माण ।

*1285. श्री योगेन्द्र प्रसाद--क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बोकारो, प्रखण्ड-गोमिया के पंचायत-कुन्दा, ग्राम-लावालौंग के ऊपर टोला, नीचे टोला, पंचायत-चतरो चट्टी के हरिजन टोला एवं चिपरी, पंचायत-करौं खुर्द के भेलवापानी एवं कुर्कनालो, पंचायत-बड़की सिधावारा के बड़की सिधावारा, ऊपर टोला, नीचे टोला (केन्दुवाडीह) एवं गुरूडीह, पंचायत-बड़की चिदरी के चिलगो एवं जरकुण्डा, पंचायत-हुरलुंग के हुरलुंग खास, पंचायत-खम्हरा के खम्हरा खास तथा टोला कसवाटाँड़, करमाटाँड़ के हरिजन टोला एवं करमाटाँड़ खास, पंचायत-सियारी के ग्राम-चितु । इन योजनाओं को कार्यपालक अभियन्ता तेनुघाट प्रमण्डल द्वारा मिनी ग्रामीण जलापूर्ति योजना के लिए चिन्हित कर मुख्य अभियन्ता को भेजा है;

(2) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त योजनाएँ नहीं बनने के कारण उक्त क्षेत्रों में पेयजल का घोर अभाव है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त योजनाओं को अतिशीघ्र बनाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर-

(1) वस्तु स्थिति यह है कि विभागीय निर्देशानुसार स्रोत से जलापूर्ति करने हेतु निम्नलिखित वृहत जलापूर्ति योजना का पी०एफ०आर० तैयार है । डी०पी०आर० तैयार किया जा रहा है । स्थिति निम्न है ।

क्र० सं०	योजना का नाम	आच्छादित होने वाले गाँव	लाभान्वित जनसंख्या	सतही स्रोत का नाम	डी०पी०आर०/पी०एफ०आर० की स्थिति
1	चतरोचट्टी, सिधावारा ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना	चतरोचट्टी	11956	कोनार डैम	DPR बनाने की कार्रवाई की जा रही है ।
		तिस्कोपी			
		चिपरी			
		बड़की सिधवारा			
		छोटकी सिधवारा			
		तुस्का			
		गुरूडीह			
		बड़की चिदरी			
		छोटकी चदरी			
		चिलगो			
2	खम्हरा सियारी ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना	खम्हरा	5577	कोनार नदी	तथैव
		करमाटांड़			
		चितु			
3	सियारी एवं संयुक्त ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना	गोसे	6432	बोकारो नदी	तथैव
		डूमरी			
		उदा			
		सियारी			
		ओचो			

(2) वर्णित सभी टोलो में चलकूपो द्वारा पेयजलापूर्ति की जाती है एवं सभी गाँव चलकूपों से आच्छादित है ।

क्र० सं०	पंचायत	ग्राम	टोला का नाम	2011 आबादी	कुल चालू चलकूप	अभियुक्ति
1	कुन्दा	कुन्दा	नीचे टोला	670	3	
			ऊपर टोला	715	3	
2	चतरो चटटी	चतरो चटटी	ह०टोला	950	6	
			यादव टोला			
3	चतरो चटटी	चिपरी	चिपरी	344	4	
4	करौंखुर्द	करौंखुर्द	भेलवापानी	590	6	
			ह०टोला			
		कुर्कनालो	कुर्कनालो	615	5	
			महतो टोला			
			कोरवाटांड			
5	बड़की सीधाबारा	बड़की सीधाबारा	बड़की सीधाबारा	1390	14	
		गुरूडीह	गुरूडीह	600	4	
6	बड़की चौदरी	चिलगो	चिलगो एवं अन्य	1100	13	
		जरकुन्डा	जरकुन्डा	823	5	नियी जलापूर्ति योजना चालू है
7	हूरलूंग	हूरलूंग	हूरलूंग	897	7	
8	खम्हरा	खम्हरा	खम्हरा	510	4	
			कसवागढ़ा	695	4	
		करमाटांड	ह०टोला	270	3	
			करमाटांड खास	683	6	
9	सियारी	चितु	चितु	550	5	

(3) DPR निर्माण के उपरान्त उपलब्ध संसाधनो एवं क्षेत्रीय संतुलन के मद्देनजर योजना निर्माण हेतु कार्रवाई की जा सकेगी ।

तालाब को अतिक्रमण मुक्त करना ।

उत्तर मुद्रित

1286. श्रीमती गंगोत्री कुजूर--क्या मंत्री, नगर विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राँची के डिस्टलरी तालाब के सौंदर्यीकरण की योजना बनाई गई है;

(2) क्या यह बात सही है कि मेयर आशा लकड़ा ने 28 दिसम्बर, 2015 को डिस्टलरी तालाब क्षेत्र के अतिक्रमण किये जाने की शिकायत की जाँच की थी और इसके दोषी लोगों को 24 घंटे के अन्दर नोटिस भेजे जाने का आदेश जारी किया था;

(3) क्या यह बात सही है कि अतिक्रमणकारियों द्वारा समुचित कागजात, नक्शा पेश नहीं किये जाने की स्थिति में उनके भवनों को तोड़े जाने और डिस्टलरी तालाब क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त किये जाने का आदेश नगर निगम से जारी हुआ था;

(4) यदि अगर उक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त मामले में लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने और डिस्टलरी तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराये जाने संबंधी कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक है ।

(2) स्वीकारात्मक है ।

(3) डिस्टलरी तालाब क्षेत्र में अतिक्रमण कर अवैध रूप से निर्माणाधीन भवनों पर झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के सुसंगित धारा एवं Building bye laws के अन्तर्गत निगम द्वारा अनधिकृत निर्माण वाद दर्ज किया गया है, जिसकी सुनवाई न्यायालय, नगर आयुक्त में चल रही है ।

(4) इस खण्ड का उत्तर कंडिका (3) में सन्निहित है ।

श्री आलमगीर आलम, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–16.03.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम–152 का उत्तर सामग्री :– 1287

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री आलमगीर आलम, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन हेतु नियुक्त/कार्यरत 32 सहायक अभियंता एवं 98 कनीय अभियंता को 72 प्रतिशत मँहगाई भत्ता देय है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–4569/वि0, दिनांक–05.07.2002 के आलोक में संविदा पर नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों को मँहगाई भत्ता 72 प्रतिशत से बढ़ाकर 113 प्रतिशत अभिवृद्धि करने का निर्णय लिया गया है, जो दिनांक–01.08.2015 से प्रभावी है;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपरोक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित अभियंताओं की मँहगाई भत्ता 72 प्रतिशत से बढ़ाकर 113 प्रतिशत एवं अवधि विस्तार करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	प्रसंगाधीन परिपत्र के आलोक में प्रश्नागत मामला विचाराधीन है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–380/16 ग्रा0का0वि.......1387.......राँची/दिनांक–...14.3.16

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–1522, दिनांक–25.02.16 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–380/16 ग्रा0का0वि.......1387.......राँची/दिनांक–...14.3.16

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–380/16 ग्रा0का0वि.......1387.......राँची/दिनांक–...14.3.16

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा0का0मा0), झारखण्ड, राँची/विधान मण्डलीय शाखा, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

योजना चालू करना ।

1288. श्री योगेन्द्र प्रसाद--क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला अंतर्गत प्रखण्ड पेटरवार एवं कसमार के मल्टी भिलेज मेगा स्कीम पाईप लाईन के तहत तेनुघाट डेम से जलापूर्ति करने का है, इसके अन्तर्गत 39 राजस्व है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त जलापूर्ति योजना का प्राक्कलित राशि 58 करोड़ 69 लाख 85 हजार 8 सौ रुपये है यह योजना अबतक लम्बित है;

(3) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त योजना लम्बित होने के कारण 39 राजस्व ग्रामों में पेयजल का घोर अभाव है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इसी वित्तीय वर्ष 2015-16 में उपरोक्त योजना को चालू करने की विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक ।

(2) DPR तैयार हो गया है । प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रियाधीन है । यह योजना रु० 58,69,85,800 की है ।

(3) वर्तमान में इन सभी ग्रामो मे डिल्ड नलकूपों से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है ।

(4) उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

श्री हरिकृष्ण सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–16.03.16 को पूछा जानेवाले तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम–175 की उत्तर सामग्री :– 1289

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री हरिकृष्ण सिंह, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य विभाग)
1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत जपला–छतरपुर PWD पथ से चौवाचट्टान मोड़ से कंचनपुर, सोहेपाट, बड़हीयाडीह, मुर्दवारवाला तक पथ का निर्माण वर्ष 2007 में हुआ था;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त पथ से हुसैनाबाद के पूर्वांचल एवं हरिहरगंज प्रखंड के पश्चिमी सीमा की घनी आबादी के आवागमन का एकमात्र निकटतम रोड है, जो कि जीर्ण–शीर्ण स्थिति में है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि ग्राम पंचायत उर्दवार मंजुराहा के कोईरियासरहु से बीहड़ संतयन्ती तक एक कि0मी0 रोड एवं पुलिया निर्माण नहीं होने से बिहार सीमा के गजना धाम तक जाने में काफी कठिनाई होती है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
4. यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपर वर्णित दोनों पथों का निर्माण करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	सीमित बजटीय उपबंध के कारण प्रश्नाधीन पथ का निर्माण चालू वित्तीय वर्ष में संभव नहीं है।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–427 / 2016 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0) 1381 राँची, दिनांक 14-3-16

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–2028 दिनांक–04.03.16 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–427 / 2016 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0) 1381 राँची, दिनांक 14-3-16

प्रतिलिपि– मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय (निगरानी) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–427 / 2016 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0) 1381 राँची, दिनांक 14-3-16

प्रतिलिपि– विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग / प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

श्री पौलुस सुरीन, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–16.03.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम–87 का उत्तर सामग्री :– 1290

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री पौलुस सुरीन, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिलान्तर्गत बनो प्रखंड में जितने भी REO पथ का निर्माण कार्य किया जा रहा है, उसमें कार्यरत मजदूरों को मजदूरी मात्र 130 रू0 संवेदक द्वारा भुगतान किया जा रहा है;	अस्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि इन गरीब मजदूरों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी का संवेदक द्वारा उचित मजदूरी भुगतान नहीं करने में अभियंता भी संलिप्त है;	अस्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त प्रश्नखण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उचित मजदूरी का भुगतान एवं दोषी संवेदक/अभियंता पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों?	विभाग में ऐसा कोई मामला प्रतिवेदित नहीं है फिर भी विभाग अपने स्तर से जाँच कर आवश्यक कार्रवाई करेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–308/16 ग्रा0का0वि 1390 राँची/दिनांक– 14-3-16

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–797, दिनांक–14.02.16 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–308/16 ग्रा0का0वि 1390 राँची/दिनांक– 14-3-16

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–308/16 ग्रा0का0वि 1390 राँची/दिनांक– 14-3-16

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा0का0मा0), झारखण्ड, राँची/विधान मण्डलीय शाखा, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

(1291)

श्री जानकी प्रसाद यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दि0–16.03.2016 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–92

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री जानकी प्रसाद यादव माननीय स0वि0स0	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है कि कोडरमा जिले के चन्दवारा प्रखण्ड अंतर्गत बड़की धमराय से पी0डब्लू0डी0 (P.W.D) पथ झुमरी तिलैया को जोड़ती है ;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त पथ के मंझगाँव स्थित गोरी नदी पर बना पुल काफी जर्जर अवस्था में है ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
3. क्या यह बात सही है कि खण्ड–2 में वर्णित जर्जर पुल से अनहोनी की आशंका बनी रहती है ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में उपरोक्त पुल के जीर्णोद्धार का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?	प्रश्नांकित पुल का निर्माण जिला स्तरीय योजना से करायी गयी थी। अगले वित्तीय वर्ष में माननीय स0वि0स0 से प्राप्त प्राथमिकता सूची में यदि उक्त को शामिल किया जाता है तो उस पर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 63 / 2016 / ग्रा0का0 1385 राँची, दिनांक : 14-3-16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–817 वि0स0 दिनांक 14.02.2016 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आसिफ हसन)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 63 / 2016 / ग्रा0का0 1385 राँची, दिनांक : 14-3-16

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 63 / 2016 / ग्रा0का0 1385 राँची, दिनांक : 14-3-16

प्रतिलिपि : विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग / प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

कुणाल षडंगी मा0स0 वि0स0 द्वारा दिनांक–16.03.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय–72 1292
उत्तर।

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के विभिन्न अंचलों में 1983 से श्रमपुस्त पर कर्मचारी कार्यरत हैं और उन्हें न्यूनतम मजदूरी का भी भुगतान नहीं किया जाता है;	वस्तुस्थिति यह है कि विभाग अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा WP(S) No. 5538/2008 राजाराम प्रजापति एवं 14 अन्य बनाम् राज्य सरकार में आवेदकों द्वारा अपना आवेदन वापस लिया गया है। इस न्यायादेश तथा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प सं0 5940 दिनांक 18.06.93 को आधार बनाकर न्यूनतम वेतन पर स्वीकृति दी गई है। यह स्वीकृति किसी स्वीकृत पदबल के विरूद्ध नहीं है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग एवं वित्त विभाग का परामर्श एवं सहमति प्राप्त नहीं है। आदेश में न्यायालय वाद संख्या–5533/2008 गलत संख्या भी अंकित है। यह आदेश विभागीय मंत्री के अनुमोदन से निर्गत है। इस क्रम में अद्यतन भुगतान किया जा रहा है।
2.	क्या यह बात सही है कि इस विभाग में बहुत सारे कनीय कर्मचारियों को कार्यभारित कर नियमित कर दिया गया है;	बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम सं0–59 में कार्यभारित स्थापना में कार्यभारित कर्मियों को रखने का प्रावधान था। वित्त विभागीय संकल्प सं0 6394 दिनांक 23.10.87 एवं संकल्प सं0 5074 दिनांक 20.09.1990 के आलोक में गठित समिति द्वारा 22.10.84 के पूर्व से कार्यरत कुल 131 कार्यभारित कर्मियों को तथा विभागीय पत्रांक 2689 दिनांक 26.09.05 के द्वारा तथा विभागीय पत्रांक 3423 दिनांक 01.08.07 के द्वारा दिनांक 22.10.84 के बाद से कार्यरत कुल 545 कार्यभारित कर्मियों को कार्यभारित स्थापना में नियमित करने हेतु नीति निर्धारण के उपरांत नियमित किया गया है।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ऐसे सारे श्रमपुस्त कर्मचारियों को कार्यभारित कर अगले तीन माह के अंदर नियमितीकरण करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	बिहार लोक निर्माण संहिता में श्रमपुस्त पर कर्मी रखने का प्रावधान नहीं था, न ही इसके लिए पदों का सृजन किया गया था। इसलिए सरकार इन श्रमपुस्त कर्मियों के नियमितीकरण करने का विचार नहीं रखती है। ऐसा कोई प्रक्रिया कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित भी नहीं है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग।

ज्ञापांक:–02/वि0स0–01/2016 1242 राँची, दिनांक:– 15/3/16

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–1813, दिनांक– 26.02.2016 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.3.16
(डेविड दानिएल तिर्की)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:–02/वि0स0–01/2016 1242 राँची, दिनांक:– 15/3/16

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, प्रशाखा–5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.3.16
(डेविड दानिएल तिर्की)
सरकार के अवर सचिव

1293

श्री जयप्रकाश भाई पटेल, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 16.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–166 का उत्तर सामग्री

प्रश्न	उत्तर
1.	2.
(1) क्या यह बात सही है कि सरकार के संकल्प संख्या 3195 दिनांक 22.10.2014 संलेख के द्वारा मैट्रिक पास योग्यताधारी कार्यरत दलपतियों को पंचायत सचिव के पद पर समायोजन हेतु कार्मिक विभाग से स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी थी ?	स्वीकारात्मक ।
(2) क्या यह बात सही है कि उक्त संकल्प के आधार पर कई जिलों में समायोजन की प्रक्रिया अपनाकर अनुमोदन हेतु विभाग को अनुमोदनार्थ प्रेषित भी की गई तथा अनावश्यक विलम्ब कर नये नियमावली के साथ जोड़कर पुनः वापस कर दिया गया जो वर्षों से कार्यरत दलपतियों के साथ न्यायोचित नहीं है ?	आंशिक स्वीकारात्मक । दलपति से पंचायत सचिव पद पर नियुक्ति हेतु जिलों से प्राप्त प्रस्ताव पर विभागीय स्तर पर अनुमोदन की कार्रवाई की जा रही थी, किन्तु इसी बीच झारखण्ड पंचायत सचिव (नियुक्ति, सेवाशर्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली (संशोधित) 2014 पर मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत अधिसूचना संख्या 1963 दिनांक 02.07.2015 द्वारा नई नियमावली प्रभावी हो गई, जिसमें दलपति से पंचायत सचिव के पद पर नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है ।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्षों से कार्यरत दलपतियों को संकल्प संख्या 3195 दिनांक 22.10.2014 के तहत पंचायत सचिव के पद पर समायोजित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड पंचायत सचिव (नियुक्ति, सेवाशर्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली (संशोधित) 2014 के प्रावधानानुसार पंचायत सचिव पद पर सीधी नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है । विभाग द्वारा प्रेषित अधियाचना के आलोक में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अधिसूचना झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी गई है जिस आलोक में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया है । इस नियमावली में दलपति से पंचायत सचिव पद पर नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है । नियमावली के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में दलपतियों द्वारा छः याचिकाएँ भी दायर की गई हैं जो विचाराधीन है ।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(पंचायती राज)

ज्ञापांकः–1स्था(वि0)–100/2016—— 570 ——/, राँची, दिनांकः– 15.3.16

प्रतिलिपिः– 200 अतिरिक्त प्रतियों सहित अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक संख्या 2156 दिनांक 10.03.2016 के संदर्भ में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– –1स्था(वि0)–100/2016—— 570 ——/, राँची, दिनांकः– 15.3.16

प्रतिलिपिः– मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, संसदीय कार्य/ माननीय मंत्री, पंचायती राज, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित ।

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:– --1स्था(वि0)–100 / 2016—— 540 ——/, रॉंची, दिनांक:– 15.3.16

प्रतिलिपि:– उप सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी (OASYS), पंचायती राज, झारखण्ड, रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अवर सचिव

पंचायत में शामिल करना ।

1294. श्री जगरनाथ महतो--क्या मंत्री, नगर विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बोकारो जिलान्तर्गत फुसरो नगर पर्षद वर्ष-2008 में बनाया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि इस नगर पर्षद में कई ग्रामीण गाँव पड़ता है, जिससे आदिवासी, गैर आदिवासी निवास करते है;

(3) क्या यह बात सही है कि इस नगर पर्षद में सी०सी०एल० का क्षेत्र पड़ता है;

(4) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नगर पर्षद से गाँवों को हटाकर पंचायत में शामिल करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि फुसरो नगर पर्षद का गठन विभागीय अधिसूचना संख्या-372, दिनांक 6 फरवरी, 2006 (गजट अधिसूचना संख्या-63, दिनांक 7 फरवरी, 2006) द्वारा किया गया है ।

(2) स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2008 में 6 पंचायत क्रमशः फुसरो, डोरी, करगली, अमलो, मकोली एवं कारो को मिलाकर नगर परिषद फुसरो का गठन किया गया था । नगर परिषद फुसरो में कुल 28 वार्ड है । लगभग सभी वार्डों में आदिवासी एवं गैर आदिवासी निवास करते है ।

(3) स्वीकारात्मक है ।

(4) फुसरो नगर परिषद में शामिल गाँव को हटाकर पंचायत में शामिल किये जाने से संबंधित किसी प्रकार का प्रस्ताव सरकार के स्तर पर विचाराधीन नहीं है ।

(1295)

श्री कुणाल षडंगी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 16.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–161 का उत्तर सामग्री

प्रश्न	उत्तर
1.	2.
(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2014 के पहले पंचायतों में पूर्व से कार्यरत योग्य दलपतियों को पंचायत सचिव के पद पर नियुक्ति दी जाती थी, जिसे 2014 में झारखण्ड राज्य पंचायत सचिव सेवाशर्त नियमावली के द्वारा बन्द कर दिया गया है ?	स्वीकारात्मक ।
(2) क्या यह बात सही है कि वर्तमान में पंचायत स्तर पर दलपति का पद अति महत्वपूर्ण होते हुए भी खाली पड़ा हुआ है, जिससे पंचायतो का कार्य बाधित हो रहा है ?	आंशिक स्वीकारात्मक । विभागीय पत्रांक 1286 दिनांक 01.06.2012 द्वारा दलपति पद पर नियुक्ति पर स्थगन आदेश निर्गत है एवं वर्तमान में दलपति पद पर नियुक्ति नहीं की जा रही है ।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पहले की तरह रिक्त पड़े पंचायत सचिव के पदों पर जिनकी संख्या लगभग 1400 है और राज्य में कार्यरत योग्य दलपतियों की संख्या मात्र 304 है । उनको पंचायत सचिव के पद पर नियुक्ति देने के साथ–साथ बाकी पंचायत सेवकों के रिक्त पदों को तत्काल सीधी भर्ती के जरिये पूरा करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब, नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड पंचायत सचिव (नियुक्ति, सेवाशर्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली (संशोधित) 2014 के प्रावधानानुसार पंचायत सचिव पद पर सीधी नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है । विभाग द्वारा प्रेषित अधियाचना के आलोक में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अधिसूचना झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी गई है जिस आलोक में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया है । इस नियमावली में दलपति से पंचायत सचिव पद पर नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है । नियमावली के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में दलपतियों द्वारा छः याचिकाएँ भी दायर की गई हैं जो विचाराधीन है ।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(पंचायती राज)

ज्ञापांकः–1स्था(वि0)–99/2016– 962 /, राँची, दिनांकः– 15-3-16

प्रतिलिपिः– 200 अतिरिक्त प्रतियों सहित अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक संख्या 1807 दिनांक 29.02.2016 के संदर्भ में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह०) 15/3/16
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– –1स्था(वि0)–99/2016– 962 /, राँची, दिनांकः– 15-3-16

प्रतिलिपिः– मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, संसदीय कार्य/ माननीय मंत्री, पंचायती राज, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित ।

(ह०) 15/3/16
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– –1स्था(वि0)–99/2016– 962 /, राँची, दिनांकः– 15-3-16

प्रतिलिपिः– उप सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी (OASYS), पंचायती राज, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(ह०) 15/3/16
सरकार के अवर सचिव

1256

डॉ० इरफान असांरी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–16.03.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०–ग्राम–90 का उत्तर सामग्री :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
डॉ० इरफान असांरी, माननीय स०वि०स०	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिला अंतर्गत जामताड़ा–करमाटॉड़ मुख्य पथ अवस्थित राम कृष्ण मठ से कंचन बेड़ा भाया रामपुर मोड़ तक सड़क का निविदा 7–8 वर्ष पूर्व हुआ था;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त पथ का निर्माण कार्य अबतक पूरा नहीं हो सका है;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार ऐसे दोषी पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सड़क का कार्य पूर्ण करवाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कार्य में संवेदक द्वारा अभिरूचि नहीं लेने के कारण विभागीय पत्रांक–2926, दिनांक–10.12.2008 के निर्देश के आलोक में एकरारनामा का विखण्डन कर दिया गया है। पुनरीक्षित प्राक्कलन प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–294 / 16 ग्रा०का०वि. 1386 राँची / दिनांक– 14-3-16

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा०वि०स० सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–821, दिनांक–14.02.16 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–294 / 16 ग्रा०का०वि. 1386 राँची / दिनांक– 14-3-16

प्रतिलिपि–मा० मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–294 / 16 ग्रा०का०वि. 1386 राँची / दिनांक– 14-3-16

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा०का०मा०), झारखण्ड, राँची / विधान मण्डलीय शाखा, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

(1297)

श्रीमती विमला प्रधान, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा से प्राप्त दिनांक–16.03.16 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–पेय–77 का उत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सिमडेगा नगर परिषद के वार्ड 16,17,18 में पेयजल आपूर्त्ति हेतु पाईप लाईन की कोई व्यवस्था नहीं होने से लोगों को पेयजल आपूर्त्ति की कोई व्यवस्था नहीं है ;	आंशिक स्वीकारात्मक है। वर्णित वार्डों में पाईप लाईन के अभाव में चापाकल का अधिष्ठापन किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि नगर के अन्य वार्डों में केलाधाध डैम से पेयजल आपूर्त्ति की जाती है परन्तु उपर्युक्त वार्डों में पेयजल आपूर्त्ति हेतु न तो जलमीनार की व्यवस्था है और न ही पाईप लाईन की कोई व्यवस्था है ;	स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि वर्त्तमान जलापूर्त्ति व्यवस्था 30 वर्ष पुरानी है, जो तत्कालीन जनसंख्या एवं क्षेत्र के आलोक में बनायी गयी थी।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सिमडेगा नगर के वार्ड 16, 17, 18 में पाईप लाईन एवं जलमीनार की व्यवस्था करना चाहती है, यदि हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों ?	वर्त्तमान आवश्यकताओं का आकलन कर कुल नौ लाख गैलन पानी धिन्दा जलाशय योजना से प्राप्त करने हेतु जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने का अनुरोध किया गया है। अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर, सम्पूर्ण सिमडेगा नगर परिषद क्षेत्र के लिए अगले 30 वर्षों की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए, तैयार किये जा रहे डी०पी०आर० की स्वीकृति के उपरांत योजना कार्यान्वयन किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक :–5 / न0वि0 / तारांकित–56 / 2016 1425 / राँची, दिनांक :– 14/03/16

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके पत्रांक–2034, दि0–04.03.2016 के आलोक में उत्तर सामग्री की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।
14/03/16

U.D.D. Hall I/E:/Munni/Letter/Bidhan Sabha -Mu- 185

माननीय विधायक श्री आलोक कुमार चौरसिया, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–16.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय–10 का उत्तर

क्रं	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिये जाने वाला उत्तर:–
1	क्या यह बात सही है कि पलामू सुखाड़ प्रभावित क्षेत्र रहा है तथा गर्मी के दिनों में भी ग्रामीणों को पानी के लिए दूर–दूर तक चलकर भार पर पानी लाना पड़ता है;	वस्तुस्थिति यह है कि पलामू जिले ग्रामीण क्षेत्रों की कुल जनसंख्या 948760 है। कुल चालू चापाकलों की संख्या–20222 कुल 47 प्रति व्यक्ति पर एक चापाकल कार्यरत है जो राष्ट्रीय मानक से अधिक है। इसके अतिरिक्त जिले में अनेक सतही स्रोत आधारित योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जा रहा है ताकि भूगर्भ जलस्तर को गिरने से रोका जा सके। विभाग द्वारा भूगर्भ जलस्तर के गिरते स्तर के कारण नलकूपों पर सतत् निर्भरता घटाने एवं सतही स्रोत आधारित जलापूर्ति योजना का DPR तैयार कर स्वीकृति कर कार्यान्वयन किया जा रहा है। निम्न सतही स्रोत आधारित योजनाओं की स्वीकृति दी गयी है तथा चालू/कार्यान्वयन की जा रही योजनायें– **चालू योजना** (1) मेदिनीनगर शहरी पाईप जलापूर्ति योजना। (2) चैनपुर बहु ग्रामीण जलापूर्ति योजना। (3) पूर्वडीहा बहु ग्रामीण जलापूर्ति योजना। (4) सुदना बहु ग्रामीण जलापूर्ति योजना। (5) 209 अदद लघु ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना। (6) 149 अदद सौर ऊर्जा चालित लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना। **निर्माणाधीन/स्वीकृत योजना** (1) बारालोटा बहु ग्रामीण जलापूर्ति योजना। (2) लेस्लीगंज बहु ग्रामीण जलापूर्ति योजना। (3) चुकरु बहु ग्रामीण जलापूर्ति योजना। (4) पाकी बहु ग्रामीण जलापूर्ति योजना। (5) सतबरवा बखोड़िया बहु ग्रामीण जलापूर्ति योजना। (6) 149 अदद सौर ऊर्जा चालित लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना। (7) मेदिनीनगर शहरी जलापूर्ति योजना फेज–।। कार्यादेश निर्गत है।
2	क्या यह बात सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई चापाकल सुख गये हैं तथा विभाग द्वारा अब तक विशेष मरम्मति में चापाकल नहीं लगने के कारण भी ग्रामीणों को कठिनाई उत्पन्न हो रही है;	वस्तुस्थिति यह है कि पलामू जिले के जलस्तर प्रतिवेदन के अनुसार औसत जलस्तर 18–20 मीटर है, जिसमें अधिष्ठापित नलकूपों के संचालन में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिये। वित्तीय वर्ष 2015–16 में किये गये कार्य निम्न प्रकार नलकूप चालू किया गया है:– 1. साधारण मरम्मति – 4982 अदद 2. राईजर पाईप बदलकर – 1116 अदद 3. नये नलकूप निर्माण – 628 अदद इसके अतिरिक्त गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखण्ड से प्राप्त राशि से स्वीकृत योजना के अनुसार कुल लक्ष्य निम्नवत है:– 1. आवश्यकता आधारित नये नलकूप निर्माण– 628 अदद 2. राईजर पाईप बदल कर नलकूप चालू करना– 1116 अदद इस योजना की निविदा प्रक्रियाधीन है।

3	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रत्येक पंचायत में 10–10 चापाकल लगाने तथा बन्द पड़े चापाकल के स्थान पर विशेष मरम्मति के तहत् नये चापाकल लगाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2015–16 में आपदा प्रबन्धन के तहत मो0 159.73 लाख रुपये प्राप्त हुआ था, जिसके विरुद्ध 307 अदद नलकूपों का निर्माण कार्य किया गया है। आपदा प्रबन्धन से प्राप्त राशि के आलोक में आवश्यकता आधारित खराब चापाकलों के स्थान पर नये चापाकल लगाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक: 8/वि0स0(ता0)– 04/2016 (पेय0) - 528/SWSM दिनांक 12.3.16

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञापांक 581 वि0स0 दिनांक 12.02.2016 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/03/16
अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक: 8/वि0स0(ता0)– 04/2016 (पेय0) 528/SWSM - दिनांक 12.3.16

प्रतिलिपि: अवर सचिव (प्रशाखा–5), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/03/16
अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

(1299)

मा0, स0वि0स0, श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी द्वारा दिनांक 16.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 – पथ 75 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –	
1. क्या यह बात सही है कि कार्मिक विभाग द्वारा कई समीक्षोपरान्त भी अभियंत्रण सेवा शर्त नियमावली के गठन नहीं होने से कई डिप्लोमाधारी सहायक अभियंताओं को कार्यपालक अभियंता के पदों पर प्रोन्नति नहीं मिल पायी है;	अस्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि वर्त्तमान नियमावली के आधार पर वरीयता सह योग्यता के आधार पर डिप्लोमाधारी सहायक अभियंता को पूर्व में कार्यपालक अभियंता के पद पर प्रोन्नति दी गई है।
2. क्या यह बात सही है कि सरकार के मुख्य सचिव के द्वारा जारी कार्मिक विभाग के पत्रांक–3804/का0 दिनांक 08.07.2011 का पाराग्राफ (घ) तथा (3) में नई नियमावली को केन्द्रीय सेवा शर्त के हु ब हु गठन करते हुए दो माह में प्रोन्नति प्रदान करने संबंध निर्णय सभी विभाग के प्रधान सचिव को संसुचित किया गया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक । केन्द्रीय अभियंत्रण सेवा तथा राज्य अभियंत्रण सेवा शर्तों में मूलभूत अंतर यह है कि केन्द्र में सीधे ग्रुप A के सहायक कार्यपालक अभियंता के पद पर सीधी नियुक्ति होती है। झारखण्ड राज्य के संदर्भ में वस्तुस्थिति यह है कि यहाँ ग्रुप B के सहायक अभियंता पद पर सीधी नियुक्ति होती है; तथा उसी के अनुरूप पद सोपान में प्रोन्नति की कार्रवाई की जाती है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रस्तावित अभियंत्रण सेवा शर्त नियमावली का गठन दिनांक 01.01.2016 के भूतलक्षी प्रभाव से करने एवं कार्यपालक अभियंता संवर्ग बल 33.33% कोटा के विरूद्ध सामान्य कोटी के अनुमान्य 59 पदों पर डिप्लोमाधारी सहायक अभियंता से कार्यपालक अभियंता के रूप में प्रोन्नति देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?	प्रस्तावित अभियंत्रण सेवा नियमावली का गठन अंतिम चरण में है। नियमावली को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता है, नियमावली राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी मानी जाती है। प्रस्तावित नियमावली के प्रभावी होने के पश्चात प्रावधानानुसार प्रोन्नति की कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–87/2016 1787(5) राँची/दिनांक : 15/3/16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 2093 दिनांक 08.03.2016 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पी० मुर्मू
15/03/2016
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–87/2016 1787(5) राँची/दिनांक : 15/3/16

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पी० मुर्मू
15/03/2016
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

श्री दीपक बिरूवा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–16.03.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम–136 का उत्तर सामग्री :– 1300

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री दीपक बिरूवा, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है कि प0 सिंहभूम जिलांतर्गत सदर प्रखंड के मडकमहातु पंचायत में ग्राम–मडकमहातु तालाब से ग्राम–टेकराहातु होते हुए ग्राम कुन्दुबेड़ा तक 4 कि0मी0 सड़क अत्यंत ही जर्जर अवस्था में है;	आंशिक स्वीकारात्मक। (वस्तुस्थिति यह है कि उक्त पथ में 700 मीटर पी0सी0सी0 एवं शेष भाग में ग्रेड–1 तथा मिट्टी मोरम सतह है)।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त पथ जर्जर होने के कारण स्थानीय ग्रामीणों को आवागमन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;	
3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार लोकहित में उक्त पथ का निर्माण करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में मा0 स0वि0स0 द्वारा अनुशंसित कतिपय पथों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। चालू वित्तीय वर्ष में बजटीय उपबंध सीमित है। अतः उक्त पथ वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में लिया जाना संभव नहीं है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–354 / 16 ग्रा0का0वि 1382 राँची / दिनांक– 14-3-16

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–1341, दिनांक–22.02.16 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/3/16
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–354 / 16 ग्रा0का0वि 1382 राँची / दिनांक– 14-3-16

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

14/3/16
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–354 / 16 ग्रा0का0वि 1382 राँची / दिनांक– 14-3-16

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा0का0मा0), झारखण्ड, राँची / विधान मण्डलीय शाखा, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

14/3/16
सरकार के उप सचिव।

(1301)

श्री निरल पुरती, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–16.03.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–पथ–56 का उत्तर सामग्री :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री निरल पुरती, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है कि प0 सिंहभूम जिला के मझगाँव विधान सभा क्षेत्र के कुमारडुँगी प्रखण्ड अन्तर्गत पंचबोया से कुंकलपी होते हुए अन्धारी तक पथ काफी जर्जर अवस्था में है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त पथ के निर्माण हो जाने से प्रखण्ड मुख्यालय के साथ–साथ जिला मुख्यालय जाने वाली पथ को जोड़ती है। साथ ही अन्तर राज्य उड़िसा जाने वाली पथ को जोड़ती है;	स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि उक्त वर्णित पथ की स्थिति काफी जर्जर रहने के कारण आवागमन में क्षेत्र के लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लोकहित में उक्त वर्णित पथ निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में मा0 स0वि0स0 द्वारा अनुशंसित कतिपय पथों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। चालू वित्तीय वर्ष में बजटीय उपबंध सीमित है। अतः उक्त पथ वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में लिया जाना संभव नहीं है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–435 / 16 ग्रा0का0वि. 1384 राँची / दिनांक– 14.3.16

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–1193, दिनांक–18.02.16 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–435 / 16 ग्रा0का0वि. 1384 राँची / दिनांक– 14.3.16

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–435 / 16 ग्रा0का0वि. 1384 राँची / दिनांक– 14.3.16

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा0का0मा0), झारखण्ड, राँची / विधान मण्डलीय शाखा, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

(1302)

श्री दशरथ गागराई, माननीय स०वि०स० के द्वारा दिनांक– 16.03.2016 को सदन में उठाये जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–169 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०सं०	प्रश्नकर्त्ता श्री दशरथ गागराई, माननीय स०वि०स०	उत्तरदाता श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग
1	क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसावाँ जिला के गम्हरिया प्रखण्ड के बांधडीह गाँव में स्टेडियम पवेलियन का निर्माण कार्य विधायक निधि से वर्ष 2008 में स्वीकृति प्रदान की गयी है।	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त निर्माण कार्य का प्राक्कलन राशि ₹ 16,00,000/– है जिसमें ₹ 9,30,325/– की निकासी कर ली गयी है और कार्य को अधूरा छोड़ दिया गया है।	उप विकास आयुक्त, सरायकेला खरसावां के पत्रांक–46/वि० दिनांक–02.03.2016 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2008–09 में विधायक निधि अन्तर्गत खरसावां विधानसभा क्षेत्र हेतु आवंटित राशि ₹ 2,00,00,000/– में से ₹ 1,69,45,250/– की निकासी नहीं की जा सकी। योजना में 58% कार्य पूर्ण है। आवंटन की पूर्ण निकासी न होने के कारण कार्य अवरूद्ध है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त निर्माण कार्य को पूर्ण करने का विचार रखती है। यदि हां तो कब तक और नहीं तो क्यो ?	चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 अथवा आगामी वित्तीय वर्ष 2016–17 में यदि वर्तमान माननीय विधायक द्वारा उक्त योजना के शेष कार्य को पूर्ण करने के लिए राशि की अनुशंसा की जाती है तो वित्तीय वर्ष में आवंटित राशि के विरूद्ध योजना का पुनरीक्षित प्राक्कलन नये अनुसूचित दर पर तैयार कर कार्य को पूर्ण कराया जा सकता है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग।

ज्ञापांक–9 (वि०यो० / वि०स०)– 10 / 2016 1512 / ग्रा०वि० राँची, दिनांक– 15·3·16

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या– 1806 दिनांक– 29.02.2016 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/3/16

(यतीन्द्र प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–9 (वि०यो० / वि०स०)– 10 / 2016 1512 / ग्रा०वि० राँची, दिनांक– 15·3·16

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग झारखण्ड राँची / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–4, ग्रामीण विकास विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

15/3/16

सरकार के संयुक्त सचिव।

1303

श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, माननीय स०वि०स० से प्राप्त दिनांक–16.03.2016 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–न०–50 का उत्तरः–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के नगर निकायों/नगरपालिकाओं एवं नगर निगमों में वार्ड पार्षदों को प्रतिमाह 8,000/– रू० मानदेय देने का प्रावधान है, जबकि बिहार में 15,000/–रू० प्रतिमाह मानेदय निर्धारित होने के साथ–साथ उक्त मद में अलग से आवंटन दी जाती है;	अस्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित मानदेय निकायों/नगरपालिकाओं एवं नगर निगमों को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं वार्ड पार्षद लोगों को अपने ही राजस्व से देने का प्रावधान है;	स्वीकारात्मक है।
3	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह नगर निकाय इन दिनों वित्तीय घाटे में चल रही है, जिसके कारण खण्ड–02 वर्णित लोगों को ससमय मानदेय नहीं मिल रही है, जिसके कारण उक्त लोगों को काफी कठिनाई हो रही है;	वस्तु स्थिति यह है कि नगर निकायों को आर्थिक रूप से सुदृढ़, सबल एवं स्वावलम्बी बनाये जाने हेतु सरकार द्वारा निम्नवत् कदम उठाये गये है– (i) झारखण्ड नगर पालिका अधिनियम, 2011 की धारा 126 में निहित प्रावधान के आलोक में राज्य के समस्त शहरी स्थानीय निकायों में अवस्थित सभी प्रकार के सैरात, सार्वजनिक भूमि, हाट एवं तालाबों का हस्तांतरण संबंधित विभागों से संबंधित शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किये जाने से संबंधित संकल्प संख्या–4125, दिनांक–17.10.13 अधिसूचित है। (ii) झारखण्ड नगर पालिका सम्पति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली, 2013 एवं नगर पालिका सम्पति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) संशोधन नियमावली, 2015 अधिसूचित किया गया है। (iii) "झारखण्ड शहरी क्षेत्र धर्मशाला, विवाह भवन, बैक्वेट हॉल, लॉज एवं हॉस्टल निर्माण एवं अनुज्ञप्ति नियमावली, 2013" अधिसूचित किया गया है। गिरिडीह नगर परिषद् के द्वारा उपर्युक्त प्रावधानों का दृढता से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने की ओर अग्रसर है।
4	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–01 में वर्णित लोगों को भी बिहार के तर्ज पर मानदेय देने के साथ–साथ, अलग से उक्त मद में आवंटन देने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राज्य के नगर निकायों के निर्वाचित पार्षदों को बिहार के तर्ज पर मानदेय दिये जाने का किसी प्रकार का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–8/तारांकित/113/2016/न0वि0– 1465 राँची, दिनांक– 15/03/16

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–1815/वि०स० दिनांक–29.02.2016 के आलोक में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/03/16
सरकार के उप सचिव।

(1305)

दिनांक 16.03.2016 को माननीय स०वि०स० श्री राम कुमार पाहन द्वारा सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम – 109

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री राम कुमार पाहन, माननीय स०वि०स०	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1.	क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत अनगड़ा प्रखंड स्थित हेसल चौक से हेजल एवं बेदवारी गाँव होते हुए पुरूलिया रोड़ तक सड़क की स्थिति अत्यंत जर्जर है।	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त जर्जर सड़क पर आमजनों का चलना मुश्किल हो गया है।	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मति कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो, कबतक, नही तो क्यों।	अनगड़ा प्रखंड अन्तर्गत राँची पुरूलिया रोड़ से हेसल– 1.40 कि०मी० पथ PMGSY के उन्नयन सूची में है जिसका DPRs बना लिया गया है। इसका प्रस्ताव ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा जा रहा है। स्वीकृत्योपरांत कार्य कराया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–347 / 16 ग्रा०का०वि.....1383.....राँची / दिनांक– 14-3-16

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा०वि०स० सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–1184, दिनांक–18.02.16 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–347 / 16 ग्रा०का०वि.....1383.....राँची / दिनांक– 14-3-16

प्रतिलिपि–मा० मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–347 / 16 ग्रा०का०वि.....1383.....राँची / दिनांक– 14-3-16

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा०का०मा०), झारखण्ड, राँची / विधान मण्डलीय शाखा, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

1306

श्री शिवशंकर उराँव, माननीय स0वि0स0 झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–16.03.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–नं0–52 का उत्तर सामग्री :–

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि राज्य गठन से लेकर 2014–15 तक राँची में विभिन्न सरकारी भवनों पर होल्डिंग टैक्स का तेरह करोड़ रूपये से भी अधिक राशि बकाया है;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि संबंधित विभागों द्वारा राशि जमा नहीं किये जाने के कारण नगर विकास योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में बाधा आ रही है ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस दिशा में कौन सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	राँची नगर निगम से प्राप्त राँची नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित विभिन्न विभागों के जिम्मे बकाया होल्डिग टैक्स की वसूली हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:– 8 / तारांकित / 114 / 2016 / न0वि0 1466 राँची, दिनांक:– 15/03/16

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय, राँची को उनके पत्रांक–1817 वि0स0, दिनांक–29.02.2016 के आलोक में उत्तर सामग्री की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/03/16
(मनीषा जोसेफ तिग्गा)
सरकार के उप सचिव।

1307

श्री मनीष जायसवाल, माननीय स0वि0स0 से दिनांक–16.03.2016 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं०–पेय–71 का उत्तरः–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग विधान–सभा क्षेत्र के शहरी क्षेत्रों में अनियमित पेयजल की आपूर्ति की जाती है, जिससे उक्त क्षेत्रों में हमेशा पेयजल संकट की स्थिति बनी रहती है;	अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि हजारीबाग विधान सभा क्षेत्र के शहरी क्षेत्रों में छड़वा प्लान्ट के दो योजना नया एवं पुराना जेल प्लान्ट एवं सर्किल प्लान्ट से जलशोधन कर पेयजलापूर्ति की जाती है। क्षमता के अनुसार हजारीबाग शहरी क्षेत्र में प्रतिदिन आठ जलमीनारों के द्वारा 20 से 22 लाख गैलन पानी की अपूर्ति की जा रही है। साथ ही पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा कुम्हार टोली, पारनाला खिरगाँव एवं सर्वोदय कॉलोनी में एक–एक अदद उच्च प्रवाही नलकूपों में Submersible मोटर पंप अधिष्ठापित कर भी पेयजलापूर्ति की जाती है। इसके अतिरिक्त हजारीबाग नगर परिषद के द्वारा 28 अदद उच्च प्रवाही नलकूपों में Submersible पंप अधिष्ठापित कर भैट्स (Vats) के माध्यम से भी हजारीबाग शहरी क्षेत्र में पेयजलापूर्ति की जाती है। नगर निगम के क्षेत्राधीन ड्रिल्ड नलकूपों से भी जलापूर्ति की जाती है। कभी–कभी अचानक विद्युत की अनुपलब्धता पाईप लिकेज एवं विद्युत/यान्त्रिक उपकरण खराब होने पर कुछ समय के लिए ही जलापूर्ति बाधित रहती है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित क्षेत्र के लोगों को पेयजल संकट से निजात दिलाने हेतु ही उक्त क्षेत्र में अवस्थित कोणार्क डैम से पेयजल आपूर्ति हेतु डी०पी०आर० तैयार की गई थी, जो विगत 03 (तीन) वर्षों से विभागीय लापरवाही के कारण अबतक लम्बित है;	पूर्व में कोणार डैम से पेयजल आपूर्ति योजना हेतु PFR/DPR तैयार करने के लिए हजारीबाग नगर परिषद द्वारा Consultant नियुक्त किया गया था, परंतु Consultant द्वारा कार्य पूरा नही किया गया। फलस्वरूप Consultant agency से एकरारनामा रद्द कर दिया गया। तत्पश्चात् अधीक्षण अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, हजारीबाग के द्वारा परामर्शी M/s Setech India Consulting Engineers & Constructor, Kolkata को PFR/DPR निर्माण हेतु कार्यादेश निर्गत किया गया है। भूमि की अनुपलब्धता के कारण PFR/DPR तैयार करने में विलंब हुआ है। वर्त्तमान में भूमि चिन्हित कर ली गयी है। परामर्शी से फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्राप्त होने पर भूमि हस्तांतरण एवं DPR निर्माण की कार्रवाई की जायेगी।

1471
15/03/16

पृष्ठ–2

3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित खण्ड–01 में वर्णित क्षेत्र के लोगों को पेयजल संकट से निजात दिलाने हेतु खण्ड–02 में वर्णित डी०पी०आर० को चालू वित्तीय वर्ष में ही स्वीकृत्यादेश देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–5 / न०वि० / तारांकित (पेय–71)–58 / 2016 1471 राँची, दिनांक– 15/03/16

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–1812 / वि०स० दिनांक–29.02.2016 के आलोक में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अ15/03/16।

मूलभूत सुविधा देना ।

*1308. श्रीमती जोबा मांझी--क्या मंत्री, भवन निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत नगर पालिका चाईबासा के मंगलाहाट परिसर मे ''मानकी-मुण्डा विश्रामगृह'' का जर्जर भवन अवस्थित है जहाँ कोल्हान-पोड़ाहाट के मानकी-मुण्डाओं की महत्वपूर्ण बैठकें सम्पन्न होती है, जिसका खाता संख्या-21, प्लाट संख्या-330, रकबा-0.10 डी० है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त भवन में सभागार, बिजली, चापाकल (पानी) जैसे बुनियादी सुविधाओं का अभाव है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चाईबासा मंगलाहाट परिसर में स्थित उक्त महत्वपूर्ण धारोहर को संरक्षित एवं सभागार, बिजली पानी की सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री-- (1) स्वीकारात्मक ।

(2) स्वीकारात्मक ।

(3) आगामी वित्तीय वर्ष 2016-17 मे बजट उपबंध के अनुरूप कार्य कराने पर विचार किया जायेगा ।

श्री जगरनाथ महतो, मा० स० वि० स० द्वारा दिनांक–16.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– पेय–54 का उत्तर :–

<table>
<tr><th>क्र०</th><th>क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग यह बतलाने की कृपा करेगें कि –</th><th>श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर –</th></tr>
<tr><td>1</td><td>क्या यह बात सही है कि बोकारो जिलान्तर्गत नावाडीह प्रखण्ड के पंचायत गोनियाटो, पैंक, कंजकिरो, काछो, नारायणपुर, पलामू, बरई में ग्रामीण जलापूर्ति योजना द्वारा ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं कराया जाता है।</td><td>अस्वीकारात्मक।
वस्तुस्थिति यह है कि नवाडीह प्रखंड के पंचायत गोनियाटो, पैंक, कंजकिरो, काछो, नारायणपुर, पलामू, बरई में मिनी जलापूर्ति योजना एवं नलकूपों से पेयजल आपूर्ति की जाती है जिसकी स्थिति निम्न प्रकार से है:–
मिनी जलापूर्ति योजनाओं की विवरणी
<table>
<tr><th>प्रखण्ड</th><th>पंचायत</th><th>ग्राम</th><th>टोला</th><th>लाभान्वित जनसंख्या</th></tr>
<tr><td rowspan="5">नावाडीह</td><td>पैंक</td><td>पैंक</td><td>मुस्लीम टोला, बाजारटांड</td><td>510</td></tr>
<tr><td>काछो</td><td>डुकगड़ा</td><td>मुरी टोला,रोड साईड</td><td>450</td></tr>
<tr><td rowspan="2">कंजकीरो</td><td>कंजकीरो</td><td>कुम्हार टोला</td><td>300</td></tr>
<tr><td>पिपराडीह</td><td>टेहरवाकी</td><td>400</td></tr>
<tr><td>नारायणपुर</td><td>नारायणपुर</td><td>कुम्हार टोला</td><td>400</td></tr>
</table>
नलकूपों से आच्छादित टोले
<table>
<tr><th>प्रखण्ड</th><th>पंचायत</th><th>2011 कुल आबादी</th><th>कुल चालू नलकूप</th></tr>
<tr><td rowspan="7">नावाडीह</td><td>गोनियाटो</td><td>5863</td><td>58</td></tr>
<tr><td>पैंक</td><td>8017</td><td>74</td></tr>
<tr><td>कंजकीरो</td><td>6784</td><td>90</td></tr>
<tr><td>काछो</td><td>5436</td><td>54</td></tr>
<tr><td>नारायणपुर</td><td>6657</td><td>60</td></tr>
<tr><td>पलामू</td><td>7118</td><td>59</td></tr>
<tr><td>बरई</td><td>6457</td><td>67</td></tr>
</table>
इस प्रकार ये सभी पंचायत नलकूपों एवं मिनी जलापूर्ति योजना से आच्छादित है।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित स्थानों पर ग्रामीण जलापूर्ति योजना नहीं होने से ग्रामीण नदी–नालों का पानी पीते है;</td><td>अस्वीकारात्मक।
स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>यदि उपरोक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित स्थानों पर ग्रामीणों के व्यवहार्थ आकस्मिक जलापूर्ति योजना को प्रारंभ कराना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक नही तो क्यों?</td><td>वस्तुस्थिति कंडिका 1 और 2 में स्पष्ट है।</td></tr>
</table>

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :–7/ ता0 प्र0–01–42/2015 /221/ दिनांक :– 12/3/16

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0–1334 दिनांक–22.02.2016 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/3/16
(सुरेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :– 7/ ता0 प्र0–01–42/2015 /221/ दिनांक :– 12/3/16

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, प्रशाखा–05, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/3/16
(सुरेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

पथ का निर्माण ।

*1311. श्री फुलचन्द मंडल--क्या मंत्री, नगर विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत हिन्दुस्तान प्रेस नन्दलाल कोठी के पीछे भेलाटांड़ मंडप थान भाया हिरक रोड तक लगभग 03 किलोमीटर पथ की स्थिति अत्यंत ही खराब है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पथ से काफी संख्या में स्थानीय ग्रामीणों का आवागमन होता है;

(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड-1 में वर्णित पथ का निर्माण चालू वित्तीय वर्ष में करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री-- (1) स्वीकारात्मक है ।

(2) स्वीकारात्मक है ।

(3) वर्णित पथ के निर्माण की स्वीकृति निगम बोर्ड से प्राप्त है तथा निविदा की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

1312

श्री चमरा लिण्डा, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा से प्राप्त दिनांक–16.03.16 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–न0–57 का उत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है राज्य सरकार के द्वारा Schedule Area के नगरपालिका क्षेत्रों में The Provision of the Panchayats (Extension to the Schedule Area) Act 1996 के लिए कोई कानून है या नहीं ;	वस्तुस्थिति यह है कि झारखण्ड राज्य अन्तर्गत नगरपालिका क्षेत्रों में PESA अधिनियम, 1996 The Provision of the Panchayats (Extension to the Schedule Area) Act 1996 लागू नहीं है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अनुसूचित क्षेत्रों में नगरपालिका कानून के तहत कार्य करने पर विचार रखती है, हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों ?	संविधान की पांचवी अनुसूची के अन्तर्गत वर्णित अनुसूचित क्षेत्रों में भी झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 प्रभावी है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक :–8 / तारा0 / 117 / 2016 / न0वि0 1463 रॉंची, दिनांक :– 15/03/16

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, रॉंची को उनके पत्रांक–2089, दि0–08.03.2016 के आलोक में उत्तर सामग्री की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/03/16
सरकार के उप सचिव।

U.D.D. Wall :/F:/Munni/Letter/Bidhan Sabha -Mu- 189

नियुक्ति पूर्ण करना ।

उत्तर अपेक्षित

*1314. श्री सुखदेव भगत--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के 24 जिलों में से 18 जिलों में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर (एम०वी०आई०) के पद रिक्त है और प्रभार व्यवस्था में चल रहे है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वाहन जाँच इत्यादि की कठिनाईयों को दूर करने हेतु रिक्त पद पर (एम०वी०आई०) की नियुक्ति पूरा करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री-- (1) स्वीकारात्मक है ।

(2) विभागीय पत्रांक-723, दिनांक 25 जून, 2015 द्वारा मोटरयान निरीक्षक के रिक्त 18 पदों पर नियुक्ति झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से कराने के निमित अधिसूचना कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड राँची को प्रेषित की जा चुकी है ।

1315

श्री रामचन्द्र सहिस, मा०स०वि०स० से प्राप्त दिनांक–16.03.16 को पूछा जानेवाला
तारांकित प्रश्न संख्या–न०–48 का उत्तर सामग्री

क्या मंत्री, नगर विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
01.	क्या यह बात सही है कि जुगसलाई नगरपालिका क्षेत्र में सही रूप से नियमित साफ–सफाई नहीं होता है ;	अस्वीकारात्मक। निकाय में उपलब्ध मानव–बल एवं संसाधन के आलोक में सम्पूर्ण नगरपालिका क्षेत्र में रोस्टर के अनुसार साफ–सफाई करायी जाती है।
02.	क्या यह बात सही है कि नगरपालिका क्षेत्र में नियमित साफ–सफाई नही होने के कारण जुगसलाई के आम जनता द्वारा हमेशा धरना–प्रदर्शन करते रहते हैं;	वस्तुस्थिति यह है कि नगरपालिका क्षेत्रान्तर्गत नियमित रूप से साफ–सफाई की जाती है। यदि किसी नागरिक से इसकी शिकायत प्राप्त होती है तो त्वरित कार्रवाई कर शिकायत का निवारण किया जाता है।
03.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्राथमिकता के आधार पर नियमित साफ–सफाई सुनिश्चित करना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उत्तर खण्ड–1 में सन्निहित है। सरकार के स्तर से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में गैर–योजना अंतर्गत साफ–सफाई मद में सभी शहरी स्थानीय निकाय को प्राप्त बजट उपबंध के आलोक में राशि आवंटित की जाती है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में जुगसलाई नगरपालिका को 10.00 लाख रू० साफ–सफाई मद में आवंटित की गई है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–2/तारा०–04/2016/न०वि०– 1444 न०वि०/राँची, दिनांक–14/03/16

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०–1493, दिनांक–25.02.16 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14/3/16
(संजय कुमार साह)
सरकार के अवर सचिव।

(1316)

श्री जानकी प्रसाद यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दि0–16.03.2016 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–83

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री जानकी प्रसाद यादव माननीय स0वि0स0	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है कि बरकट्ठा विधान सभा क्षेत्र के कोडरमा जिला के चन्दवारा प्रखण्ड में पोगडंडा नदी अवस्थित है, जो चन्दवारा एवं जयनगर दो प्रखण्डों को जोड़ती है ;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि उपरोक्त नदी पर छोटकी धमराय एवं बेलखरा के बीच पुल नहीं होने से आमजनों को आवागमन में काफी परेशानियाँ होती है ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि बरसात में आमजन 5 कि0मी0 पर निर्मित पुल का आवागमन में उपयोग करते है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–2 पर पुल के निर्माण का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?	वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में माननीय स0वि0स0 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में एक पुल हजारीबाग जिला के प्रखण्ड बरकट्ठा के पंचायत मनैहया/बरकनगांगो, ग्राम– मनैहया, पुरनीटांड, जतधघरा के बीच बराकर नदी पर पुल निर्माण कार्य योजना की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। सीमित बजट उपबंध रहने के कारण प्रश्नांकित पुल की स्वीकृति दिया जाना संभव नहीं है।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 64/2016/ग्रा0का0 1363 राँची, दिनांक : 14.3.16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–816 वि0स0 दिनांक 14.02.2016 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आसिफ हसन)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 64/2016/ग्रा0का0 1363 राँची, दिनांक : 14.3.16

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 64/2016/ग्रा0का0 1363 राँची, दिनांक : 14.3.16

प्रतिलिपि : विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

(1317)

श्री अशोक कुमार, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 16.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–125 का उत्तर सामग्री

प्रश्न	उत्तर
1.	2.
(1) क्या यह बात सही है कि श्री विश्वनाथ महतो, पंचायत सेवक, गोड्डा जिलान्तर्गत प्रखण्ड बोआरीजोर से वर्ष 1985 में सेवानिवृत हो गए थे, एवं वर्ष 1991 में उनकी मृत्यु भी हो गई थी ।	स्वीकारात्मक ।
(2) क्या यह बात सही है कि उक्त सेवानिवृत पंचायत सेवक जिनका भविष्य निधि लेखा सं0– मिस–1925 है, और उन्हें सेवानिवृति के बाद भविष्य निधि का अंतिम भुगतान आज तक नहीं हुआ है ?	अस्वीकारात्मक । विपत्र संख्या 209/1984–85 के द्वारा सामान्य भविष्य निधि की राशि कुल 9915/– रूपये मात्र अंतिम रूप से भुगतान की गई है । इसके अलावे कोई भी राशि देय नहीं है ।
(3) क्या यह बात सही है कि उक्त सेवानिवृत पंचायत सेवक का एक वर्ष का वेतन भुगतान भी लम्बित है ?	अस्वीकारात्मक एक वर्ष का वेतन भुगतान हेतु कोई भी राशि लम्बित नहीं है ।
(4) उपरोक्त उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सेवानिवृत पंचायत सेवक के आश्रित को उनका भविष्य निधि एवं बकाया वेतन का भुगतान कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिकाओं में वस्तुस्थिति स्पष्ट की गई है ।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(पंचायती राज)

ज्ञापांक:–1स्था(वि0)–83/2016 966 /, राँची, दिनांक:–15-3-16

प्रतिलिपि:– 200 अतिरिक्त प्रतियों सहित अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक संख्या 1103 दिनांक 17.02.2016 के संदर्भ में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/3/16
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:– –1स्था(वि0)–83/2016 966 /, राँची, दिनांक:–15-3-16

प्रतिलिपि:– मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, संसदीय कार्य/ माननीय मंत्री, पंचायती राज, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित ।

15/3/16
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:– –1स्था(वि0)–83/2016 966 /, राँची, दिनांक:–15-3-16

प्रतिलिपि:– उप सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी (**OASYS**), पंचायती राज, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

15/3/16
सरकार के अवर सचिव

1318

माननीय विधायक डॉ0 इरफान अंसारी, स०वि०स० द्वारा दि0–16.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय. 26 का उत्तर

क्रं	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तरः–
1	क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिला के अंतर्गत नारायणपुर प्रखंड एवं जामताड़ा प्रखंड में शौचालय निर्माण में भारी अनियमितताएँ हुई है, जिससे केवल सरकारी योजना का खाना पूरी की गई है ?	अस्वीकारात्मक। उपायुक्त जामताड़ा के द्वारा नारायणपुर प्रखण्ड एवं जामताड़ा प्रखण्ड में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत निर्मित शौचालयों की जाँच करायी गयी है एवं शौचालय निर्माण कार्य को संतोषजनक पाया गया है।
2	यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इन दोनों प्रखंडों में हुए शौचालय निर्माण का जाँच कराकर दोषी पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई करना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?	अस्वीकारात्मक

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांकः SBM(G)/ वि0स0प्र0–47 / 2016 – 412/SWSM दिनांक 29.2.16

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची के ज्ञाप सं0 779 वि0स0, दिनांक 14.02.2016 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

KMM
29/2/16
अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांकः SBM(G)/ वि0स0प्र0–47 / 2016 – 412/SWSM दिनांक 29.2.16

प्रतिलिपिः अवर सचिव (प्रशाखा–5), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु:–यथोपरि।

KMM
29/2/16
अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

श्रीमती गीता कोड़ा, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–16.03.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०–ग्राम–145 का उत्तर सामग्री :– 1319.

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्रीमती गीता कोड़ा, माननीय स०वि०स०	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत पी०डब्ल्यू०डी० पथ मेरोमसाई से तोरांगहातु आर०ई०ओ० पथ का निर्माण वित्तीय वर्ष 2011–12 में 6.50 कि०मी० संवेदक द्वारा बनाया गया है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि भौतिक उपलब्धि 55% हुआ है;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त पथ की 100% भौतिक उपलब्धि करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों?	प्रश्नाधीन पथ का पुनरीक्षित प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है। मा० सदस्य द्वारा अनुशंसित कतिपय पथों की स्वीकृति वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में दी जा चुकी है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–373/16 ग्रा०का०वि 1388 राँची/दिनांक– 14-3-16

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा०वि०स० सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–1518, दिनांक–25.02.16 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14-3-16
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–373/16 ग्रा०का०वि 1388 राँची/दिनांक– 14-3-16

प्रतिलिपि–मा० मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

14-3-16
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–373/16 ग्रा०का०वि 1388 राँची/दिनांक– 14-3-16

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा०का०मा०), झारखण्ड, राँची/विधान मण्डलीय शाखा, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

14-3-16
सरकार के उप सचिव।

(1320)

श्री अरूप चटर्जी, माननीय स०वि०स० से प्राप्त दिनांक–16.03.2016 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–न०–54 का उत्तरः–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिलान्तर्गत चिरकुण्डा नगर पंचायत क्षेत्र में वार्ड संख्या–11 में कुमारधुबी बाजार से झिलीया तक पक्की नाली निर्माण हेतु विभागीय पत्रांक–4505/न०वि०वि०, दिनांक–22.10.2014 के द्वारा 13वें वित्त आयोग से 50.80 लाख रूपये स्वीकृत की गई थी, लेकिन राशि आवंटित नहीं होने के कारण योजना शुरू नहीं हो सकी है ;	स्वीकारात्मक है। भारत सरकार से 13वें वित्त आयोग के अधीन यथेष्ट राशि प्राप्त नहीं होने के कारण वांछित राशि का आवंटन नहीं किया जा सका।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त नाली के अभाव में चिरकुण्डा नगर पंचायत क्षेत्र के निवासियों को आवागमन तथा वर्षा के मौसम में जल जमाव से काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ;	स्वीकारात्मक है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त नाली को 14वें वित्त से आगत वित्तीय वर्ष में ही निर्माण के नये अनुसूचित दर पर कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	नगर विकास एवं आवास विभाग के स्वीकृत्योदश संख्या–213 दि०–02.03.2016 द्वारा नागरिक सुविधा मद से उक्त नाली के निर्माण की स्वीकृति प्राक्कलित राशि रू० 64,64,900/– पर दी गयी है। योजना कार्यान्वयन हेतु निविदा आमंत्रण की कार्रवाई नगर निकाय द्वारा की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–5/न०वि०(तारांकित)–47/16 1423 राँची, दिनांक– 14/03/16

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–1816/वि०स० दिनांक–29.02.2016 के आलोक में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।
14/03/16

श्री रामकुमार पाहन, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–16.03.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम–110 का उत्तर सामग्री :–

1321

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री रामकुमार पाहन, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत औरमांझी प्रखण्ड स्थित उकरीद चौक से हजारीबाग रोड को जोड़ने वाली गुड्डू चौक सिकिदीरी रोड तक वर्ष 2015 में टेण्डर प्रकाशित किया गया था;	वस्तुस्थिति यह है कि तत्कालीन मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा0का0मा0), राँची के द्वारा बिना प्रशासनिक स्वीकृति के निविदा आमंत्रित की गयी थी।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त जर्जर सड़क का टेण्डर वर्त्तमान में रद् होने से क्षेत्र के लोगों में काफी आक्रोश है;	
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त पथ का निर्माण हेतु पुनः टेण्डर प्रक्रिया शुरू करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों?	वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में मा0 स0वि0स0 द्वारा अनुशंसित कतिपय पथों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। चालू वित्तीय वर्ष में बजटीय उपबंध सीमित है। अतः उक्त पथ वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में लिया जाना संभव नहीं है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–325 / 16 ग्रा0का0वि. 1368 राँची / दिनांक– 14.3.16

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–939, दिनांक–16.02.16 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–325 / 16 ग्रा0का0वि. 1368 राँची / दिनांक– 14.3.16

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–325 / 16 ग्रा0का0वि. 1368 राँची / दिनांक– 14.3.16

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा0का0मा0), झारखण्ड, राँची / विधान मण्डलीय शाखा, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

माननीय विधायक श्री फूलचन्द मंडल, स. वि. स. द्वारा दिनांक 16.03.2016 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न सं.–पेय 58 का उत्तर

क्र0 सं.	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–	श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिये जाने वाले उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के सिन्दरी विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे जिले में इस वर्ष गंभीर सुखा की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है;	अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि धनबाद जिले के सिन्दरी विधान सभा की कुल जनसंख्या 357681 है। बलियापुर प्रखण्ड में जलस्तर 8.00 से 13.00 मीटर के बीच है, जो संतोषप्रद है। कुल चालू चापाकलों की संख्या–3889 है। कुल 92 प्रति व्यक्ति पर एक चापाकल कार्यरत है जो राष्ट्रीय मानक से अधिक है। कुल चालू लघु ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना की संख्या–11 है। कुल लघु ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना से लाभान्वित आबादी की संख्या–8893 है। JnNURM के तहत सिन्दरी में जलापूर्ति योजना का कार्य पूर्ण है। 543 अदद गृह जल संयोजन किया जा चुका है तथा नगर निगम से प्राप्त सूची के अनुसार गृह संयोजन का कार्य प्रगति में है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में फरवरी माह तक 5874 चापाकलों की साधारण मरम्मति कर उसे चालू किया गया है तथा यह कार्य सतत् जारी है।
2	क्या यह बात सही है कि वर्तमान में जिले में निर्मित सभी कूप का जल स्तर सुखने के कगार पर है तथा कई कूप सुख भी चुके हैं;	अस्वीकारात्मक है। बलियापुर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में स्थित कूप में अभी पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध है।
3	क्या यह बात सही है कि चालू वित्तीय वर्ष में जिले में नया चापाकल अथवा विशेष मरम्मति मद से चापानल स्वीकृत नहीं हुई है;	अस्वीकारात्मक है। चालू वित्तीय वर्ष में आपदा प्रबंधन मद से 1364 अदद नलकूपों अदद सड़े राईजर पाईप बदलकर मरम्मति की गयी।
4	यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष में धनबाद जिले में नया चापानल अथवा विशेष मरम्मति मद से चापानल स्वीकृत करना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वित्तीय वर्ष 2015–16 में विशेष मरम्मति हेतु आवश्यकता आधारित 691 अदद नलकूपों की विशेष मरम्मति प्रस्तावित है, जिसके लिए निविदा आमंत्रण की कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही 125 अदद सोलर उर्जा आधारित लघु जलापूर्ति योजना के निर्माण हेतु कार्यादेश निर्गत करने की प्रकिया अंतिम चरण में है।

झारखंड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक: 8/वि. स. (ता.)–24/2016 (पेय.) 529/SWSM रॉची, दिनांक 12-3-16

प्रतिलिपि: झारखंड विधानसभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–1509 वि. स., दिनांक 25.02.2016 के क्रम में 200 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

KMH 12/03/16
अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक–8/वि. स. (ता.)–24/2016 (पेय.) 529/SWSM रॉची, दिनांक 12-3-16

प्रतिलिपि: अवर सचिव (प्रशाखा–5), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

KMH 12/03/16
अवर सचिव

1323

श्री ताला मराण्डी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–16.03.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम–167 का उत्तर सामग्री :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री ताला मराण्डी, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है कि साहिबगंज जिला के मंडारो प्रखण्ड अन्तर्गत मिर्जाचौकी से रक्सी स्थान तक विभाग की अपनी पैतृक पथ में बड़े–बड़े गड्ढे एवं जीर्ण–शीर्ण हो गये है, जिस पर मिर्जाचौकी बाजार से निकलने वाली गंदेपानी सड़क पर बह रही है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित मिर्जाचौकी से रक्सी स्थान जानेवाली सड़क के किनारे अवस्थित पत्थर उद्योग के सैकड़ों भारी वाहन से ढुलाई एवं आमजनों का आवागमन होते रहता है;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार आमजनों एवं व्यवसायिक वाहनों के आवागमन के लिए पथ एवं पथ के किनारे नाली का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में मा0 स0वि0स0 द्वारा अनुशंसित कतिपय पथों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। चालू वित्तीय वर्ष में बजटीय उपबंध सीमित है। अतः उक्त पथ वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में लिया जाना संभव नहीं है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–395 / 16 ग्रा0का0वि. 1367 राँची / दिनांक– 14-3-16

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–1808, दिनांक–29.02.16 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–395 / 16 ग्रा0का0वि. 1367 राँची / दिनांक– 14-3-16

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–395 / 16 ग्रा0का0वि. 1367 राँची / दिनांक– 14-3-16

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा0का0मा0), झारखण्ड, राँची / विधान मण्डलीय शाखा, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

स्थल का सौन्दर्यीकरण ।

*1324. श्री अमित कुमार--क्या मंत्री, नगर विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रांची शहीद निर्मल महतो चौक में शहीद की मूर्ति जीर्णशीर्ण अवस्था में है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त चौक की प्रतिमा एवं अन्य चीजों का रख-रखाव सही तरीके से नहीं होने के कारण यह स्थल जर्जर अवस्था में है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारखण्ड आन्दोलन के शहीद के नाम पर एकमात्र चौक में बड़ा प्रतिमा लगाने के साथ ही इस स्थल का सौन्दर्यीकरण करना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री-- (1) स्वीकारात्मक है ।

(2) स्वीकारात्मक है ।

(3) इस जर्जर चौक की मरम्मती की योजना तैयार करने के उपरांत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी । वर्तमान में उक्त स्थल पर रांची नगर निगम द्वारा प्रतिमा लगाने की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है;

1325

मा0, स0वि0स0, श्री रामचन्द्र सहिस द्वारा दिनांक 16.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 – पथ 71 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि एम0जी0एम0 मेडिकल कॉलेज चौक डिमना से आसनवनी पटमदा रोड हलुदबनी सिधुकान्हु चौक तक सड़क का चौड़ीकरण नहीं होने से आम जनता को आने–जाने के लिए काफी कठिनाई होती है तथा सड़क काफी घुमावदार एवं संकीर्ण होने के कारण कभी–कभी दर्दनाक दुर्घटना घटती है ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त वर्णित सड़क से प्रतिदिन लोगों को "डिमना लेक" आना–जाना लगा रहता है तथा पटमदा कटिंग होते हुए बंगाल से जोड़ती है ;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार एम0जी0एम0 मेडिकल कॉलेज चौक से "डिमना लेक" होते हुए हलुदबनी सिधु–कान्हु चौक तक सड़क का चौड़ीकरण करना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?	उक्त सड़क की लंबाई लगभग 05 कि0मी0 है, जिसमें प्रथम 04 कि0मी0 का रखरखाव टाटा स्टील लि0 के द्वारा किया जाता है जिसका स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का नहीं है।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–80/2016 1792(3) राँची/दिनांक : 15/3/16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 1810 दिनांक 29.02.2016 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

पी॰ मुमू
15/03/2016
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–80/2016 1792(5) राँची/दिनांक : 15/3/16

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

पी॰ मुमू
15/03/2016
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

1326

झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग
एफ.एफ.पी. भवन, धुर्वा, राँची

दिनांक 16–03–2016 को श्री बिरंची नारायण, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–परि०–19 की उत्तर सामग्रीः–

	प्रश्नकर्ता श्री बिरंची नारायण माननीय स०वि०स०		उत्तर श्री सी० पी० सिंह माननीय मंत्री परिवहन, झारखण्ड सरकार
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के भीतर एवं बाहर बसों के परिचालन में परमिट निर्गत किये जाने में दो बसों के मध्य 10 मिनट का फासला रखने का प्रावधान है;	–	उत्तर अस्वीकारात्मक है। राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, झारखण्ड, राँची के द्वारा वाद संख्या– T.R.NO-25/2013, में दिनांक–20.03.2014 को पारित आदेश के अनुसार दो बड़ी बसों के मध्य 10 से 5 मिनट का अंतराल एवं दो छोटी बसों के मध्य 5 से 3 मिनट का अन्तराल किये जाने संबंधी आदेश दिया गया है। उक्त आदेश में व्यस्त मार्गों पर समय उपलब्ध नहीं रहने पर 5 से 3 मिनट के अन्तराल भी रखने का प्रावधान किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि बहुत से बस संचालक परमिट लेने के बावजूद बस का संचालन नहीं करते हैं, जिसके कारण दो बसों के मध्य अंतराल कुछ रुटो में काफी अधिक हो जाता है, जिस कारण नये संचालकों को समय नहीं मिल पाता है;	–	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त अंतराल को कम करके प्रत्येक 5 मिनट पर बस संचालन का परमिट देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?	–	राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, झारखण्ड, राँची के द्वारा वाद संख्या– T.R.NO-25/2013, में दिनांक–20.03.2014 को पारित आदेश के आलोक में 5 मिनट के अंतराल पर बस संचालन हेतु आवेदन प्राप्त होने पर परमिट नियमानुसार निर्गत किये जा रहे है।

ह०/–
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक –परि०वि०(वि०स०)–65/2016 438 /राँची,दिनांक 14/3/16

प्रतिलिपि अग्रेर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय राँची को उनके पत्रांक–1803 दिनांक 29.02.2016 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ /उप सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित ।

14/3/16

सरकार के संयुक्त सचिव

16.12.2015

(1327)

श्री गणेश गंझू, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 16.03.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय–78 का उत्तर :–

क्र०	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि :–	श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1	क्या यह बात सही है कि पी०एच०डी० विभाग तथा कांके डैम सरोवर नगर में सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट बनाया गया था, जो अभी तक आधा अधूरा है ?	यह योजना नगर विकास विभाग द्वारा स्वीकृत रूपये 124.06 लाख की थी। कुल व्यय रूपये 104.88 लाख कर योजना दिनांक– 07.01.2015 को पूर्ण की गई है। इसका रख–रखाव पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अधीन कार्यपालक अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, गोन्दा, राँची द्वारा किया जाता है। इस प्लांट का प्रमुख कार्य है कि रातू रोड से निकलने वाले नालों के पानी को गोन्दा डैम जाने से रोका जाता है तथा ट्रीट किया जाता है।
2	क्या यह बात सही है कि सिवरेज ट्रिटमेंट में कई व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है, जिसका एफ०आई०आर० अभी सुखदेव नगर थाना में दर्ज है ?	वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2012–13 में एक बाहरी व्यक्ति की निर्माणाधीन योजना के सम्प में गिरने से मौत हुई थी, जिसका शव सुखदेवनगर पुलिस द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया था। FIR होने की सूचना विभाग को प्राप्त नहीं है।
3	यदि उपरोक्त खंडो के प्रश्न सही है तो क्या सरकार कांके डैम सरोवर नगर सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट पूर्ण रूप से संचालन की अपेक्षा रखती है और संवेदक से आधे अधूरे कार्य घोर अनियमितता के लिए काली सूची में डालने की अपेक्षा रखती है, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि ट्रांसफार्मर जलने के कारण प्लांट बन्द था, दिनांक– 11.03.2016 से चालू किया गया है। यह कार्य दिनांक– 10.06.2009 से प्रारम्भ था। लगभग 6 वर्ष में पूर्ण हुआ तथा पूर्णतः सतत् संचालित नही है। विशेष सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर सभी बिन्दुओं की जाँच कर दोषी पर कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ ता०प्र०– 02–56/2015 1245 राँची, दिनांक :– 15/3/16

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या– 2092 दिनांक– 08.03.2016 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/3/16

(सुरेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :– 7/ ता० प्र०– 02–56/2015 1245 राँची, दिनांक :– 15/3/16

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, प्रशाखा– 05, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/3/16

(सुरेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

15/03/16

1328

श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा से प्राप्त दिनांक–16.03.16 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–न0–55 का उत्तर :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राँची नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत डिबडीह ओवरब्रीज से अशोक नगर को जोड़ने वाली 600 मीटर लम्बी अशोक आश्रम रोड के निर्माण हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–98, दिनांक–12.03.2011 द्वारा 19,27,000.00 (उन्नीस लाख सत्ताईस हजार) रूपये तथा सड़क किनारे ढक्कन युक्त नाली निर्माण हेतु 19,08,100.00 (उन्नीस लाख आठ हजार एक सौ) रूपये मात्र आवंटित किया गया ;	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि घटिया सड़क निर्माण के कारण राँची नगर निगम के पत्रांक–3574, दिनांक–27.09.2014 के आलोक में एकरारनामा को रद्द करते हुए संवेदक को काली सूची मे डालकर TD/NSC जब्त कर लिया गया ;	स्वीकारात्मक है।
3	क्या यह बात सही है कि साढ़े तीन वर्ष बाद नाली की निविदा आमंत्रित कर दिनांक–16.09.14 को प्राप्त की गई विलम्ब की वजह से लागत बढ़ गया परिणाम स्वरूप निर्धारित राशि से सिर्फ 350 मीटर में ढक्कन युक्त नाली का निर्माण हो सका, शेष यथा स्थिति में है, जिससे आवागमन में असुविधा होती है ;	अस्वीकारात्मक है। कुल 422 मीटर लम्बाई में ढक्कन युक्त नाली का निर्माण कार्य सम्पन्न कराया गया है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सड़क का पुनर्निर्माण कराने तथा शेष 250 मीटर में सड़क के दोनों ओर ढक्कन युक्त नाली निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों ?	वर्त्तमान में सड़क की स्थिति संतोषजनक है। आवश्यकतानुसार पथ के दोनों तरफ नाली का निर्माण कार्य कराया गया है एवं दोनों तरफ नाली को जोड़ दिया गया है। नाली का Out Fall बड़ा नाला में कराया गया है।

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक :–5/न0वि0 (तारांकित)–55/2016..1424/ राँची, दिनांक :– 14/03/16

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके पत्रांक–2033 दि0–04.03.16 के आलोक में उत्तर सामग्री की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

U.D.D. Hall :/E:/Munni/Letter/Bidhan Sabha -Mu- 181

(1329)

श्री अमित कुमार, माननीय स0वि0स0 द्वारा सदन में दिनांक 16.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग्राम–129 का उत्तर ।

प्रश्न	उत्तर
1.	2.
(1) क्या यह बात सही है कि सिल्ली विधान–सभा के राहे प्रखण्ड के भोक्ता टोली, होटलो–1, होटलो–2, सुमनडीह तथा अनगड़ा प्रखण्ड के पंचायत बरवादाग के पहाड़सिंह गांव में आंगनबाड़ी केन्द्र का स्थानीय विधायक द्वारा किये गये शिलान्यास के कुछ दिनों के पश्चात् शिलापट को वहीं के स्थानीय जिला परिषद् सदस्य के द्वारा तोड़ा गया है;	(1) आंशिक स्वीकारात्मक,
(2) क्या यह बात सही है कि राहे प्रखण्ड में धारमडीह से कुदाडीह तक राज्य सम्पोषित योजना का स्थानीय सांसद व विधायक के द्वारा किये गये शिलान्यास को भी जिला परिषद् द्वारा तोड़ा गया है;	(2) आंशिक स्वीकारात्मक, वस्तुतः प्रसंगाधीन शिलापट तोड़ा गया है किन्तु यह ज्ञात नहीं है कि उक्त शिलापट किसके द्वारा तोड़ा गया है।
(3) यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उसकी जाँच कराकर दोषी जिला परिषद् पर कार्रवाई करना चाहती है, यदि हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ?	(3) जिला प्रशासन, राँची द्वारा जाँच हेतु जाँच दल गठित की गयी है । जाँचोपरान्त दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी ।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(पंचायती राज)

ज्ञापांक:–02 / (वि0)–19 / 2016–965 /, राँची, दिनांक:– 15.3.16

प्रतिलिपि:– 200 अतिरिक्त प्रतियों सहित अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या 1344 दिनांक 22.02.2016 के संदर्भ में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/3/16
सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांक:– –02 / (वि0)–19 / 2016–965 /, राँची, दिनांक:– 15.3.16

प्रतिलिपि:– माननीय मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव / सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, संसदीय कार्य / माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज) के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित ।

15/3/16
सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांक:– –02 / (वि0)–19 / 2016–965 /, राँची, दिनांक:– 15.3.16

प्रतिलिपि:– उप सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी (OASYS), ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

15/3/16
सरकार के अवर सचिव ।

पार्क का सौन्दर्यीकरण ।

*1330. श्री आलोक कुमार चौरसिया--क्या मंत्री, नगर विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मेदिनीनगर, पलामू के नावाटोली स्थित तालाब/पार्क/गिरवर उच्च विद्यालय के सामने कोयल नदी के तट पर एवं शहर के बीचों-बीच (अम्बेदकर पार्क) बड़ा तालाब स्थित तथा गाँधी मैदान स्थित पार्कों का निर्माण एवं सुन्दरीकरण अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन (अमृत योजना) से एक खुबसूरत पार्क बनने से शहर का वातावरण तथा पर्यावरण भी शुद्ध होगा;

(2) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त पार्क में पौधारोपण लैंडस्केपिंग/लाईटिंग/फव्वारा/कैफेटेरिया बैठने के लिए मेज-टेबल आदि की व्यवस्था के बन जाने से छोटे-छोटे बच्चे एवं अन्य गण्यमान्य पारिवारिक व्यक्तियों के लिए यह पार्क आकर्षण का केन्द्र तथा मनोरंजन का साधन हो सकता है;

(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त पार्कों का सुन्दरीकरण (निर्माण) अमृत योजना अन्तर्गत कराने हेतु विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

<u>प्रभारी मंत्री</u>

(1) स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि भारत सरकार द्वारा अमृत योजना के अधीन मेदिनीनगर नगर परिषद् का चयन नहीं किया गया है । अतएव अमृत योजना के अधीन वर्णित स्थल को पार्क के रूप में विकसित करना संभव नहीं है ।

(2) उपर्युक्त कंडिका-1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

(3) उपर्युक्त कंडिका-1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

(1331)

श्री शशिभूषण सामाड़, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा के द्वारा दिनांक 16.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या – ग्राम– 176 पर उत्तर सामग्री।

प्रश्न–कर्ता – श्री शशिभूषण सामाड़, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा	उत्तर–दाता – श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची
1. क्या यह बात सही है कि चक्रधरपुर प्रखण्ड (प0 सिंहभूम) के केन्दो पंचायत के कुरूलिया गाँव में मनरेगा के तहत वर्ष 2014–15, 2015–16 में 10 कुओं के निर्माण में बगैर काम के सामग्री मद की राशि निकाल ली गयी है ;	आंशिक स्वीकारात्मक है। उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम के पत्रांक – 372 दिनांक 12.3.2016 के द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार चक्रधरपुर प्रखण्ड अन्तर्गत् केन्दो पंचायत के कुरूलिया ग्राम में मनरेगा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में 10 कूप का कार्य प्रारंभ कराया गया था। जिसकी विवरणी निम्नवत् है :–

क्र0	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष
1	कानन प्रधान के जमीन पर सिंचाई कूप निर्माण	2013–14
2	मुखलाल प्रधान के जमीन पर सिंचाई कूप निर्माण	2013–14
3	शंकरजीत प्रधान के जमीन पर सिंचाई कूप निर्माण	2014–15
4	मानकिशोर प्रधान के जमीन पर सिंचाई कूप निर्माण	2014–15
5	मनोज प्रधान के जमीन पर सिंचाई कूप निर्माण	2014–15
6	धरमपद प्रधान के जमीन पर सिंचाई कूप निर्माण	2014–15
7	प्रल्हाद प्रधान के जमीन पर सिंचाई कूप निर्माण	2014–15
8	हरिश चन्द्र प्रधान के जमीन पर सिंचाई कूप निर्माण	2014–15
9	जगन्नाथ प्रधान के जमीन पर सिंचाई कूप निर्माण	2014–15
10	नरसिंह प्रधान के जमीन पर सिंचाई कूप निर्माण	2014–15

उक्त कूपों में लाभुकों द्वारा विलम्ब से कार्य शुरू करने एवं बरसात आ जाने के कारण मिट्टी भर गया, फलतः सम्प्रति कुएँ की गहराई 15' – 16' है जबकि कुओं की खुदाई 20' – 22' की गयी थी। उपायुक्त से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार निर्माण स्थल पर जुड़ाई के निमित बोल्डर एवं बालू गिरा हुआ है।

2. क्या यह बात सही है कि उक्त कार्यों के लिए एक ही व्यक्ति को मेट बनाया गया है ;	स्वीकारात्मक।
3. उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम के आदेश ज्ञापांक – 613 दिनांक 13.3.2016 के द्वारा इन सभी योजनाओं की जाँच हेतु एक चार सदस्यीय संयुक्त जाँच दल गठित किया गया है। संयुक्त जाँच दल को एक पखवाड़े में तथ्यपरक जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया है। जाँच प्रतिवेदन में अनियमितता पाये जाने पर संलिप्त पदाधिकारियों/कर्मियों के विरूद्ध सम्यक कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग।

ज्ञापांक – 11–316/(वि0 स0)/2016/ग्रा0 वि0 – (N) 590 रॉची, दिनांक 15-3-16

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, रॉची को उनके ज्ञाप संख्या – 2030 दिनांक 04.03.2016 के संदर्भ में अतिरिक्त 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/3/16
(घनश्याम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक – 11–316/(वि0 स0)/2016/ग्रा0 वि0 – (N) 590 रॉची, दिनांक 15-3-16

प्रतिलिपि :– माननीय मुख्य मंत्री, झारखण्ड सरकार के प्रधान सचिव/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री के आप्त सचिव/ माननीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग), झारखण्ड सरकार के आप्त सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा – IV) ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/3/16
सरकार के अवर सचिव।

1332

श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–16.03.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम–160 का उत्तर सामग्री :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है कि वर्ष 2007 में अंचल कार्यालय, गिरिडीह की स्वीकृति दी जाने के बावजूद अबतक उक्त कार्यालय का संचालन राँची से ही हो रही है, जिसके कारण उक्त कार्यालय से संबंधित कार्यों का निष्पादन हेतु उक्त जिला के अभियंताओं को हमेशा रांची आना–जाना पड़ता है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि तत्कालीन उपायुक्त, गिरिडीह द्वारा खण्ड–01 में वर्णित कार्यालय के संचालन हेतु भवन उपलब्ध कराने के बावजूद उक्त कार्यालय को अबतक गिरिडीह में अवस्थित नहीं की गई है;	अस्वीकारात्मक।
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–01 में वर्णित कार्यालय को चालू वित्तीय वर्ष में गिरिडीह में अवस्थित करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों?	उपायुक्त, गिरिडीह से अधीक्षण अभियंता कार्यालय के संचालन हेतु तीन–चार कमरों का भवन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है। कमरा उपलब्ध होने तक कार्यपालक अभियंता, गिरिडीह के कार्यालय से ही उक्त कार्यालय को संचालित करने का निदेश दिया गया है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–394 / 16 ग्रा0का0वि. 1378 राँची / दिनांक– 14-3-16

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–1804, दिनांक–29.02.16 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/3/16
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–394 / 16 ग्रा0का0वि. 1378 राँची / दिनांक– 14-3-16

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

14/3/16
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–394 / 16 ग्रा0का0वि. 1378 राँची / दिनांक– 14-3-16

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा0का0मा0), झारखण्ड, राँची / विधान मण्डलीय शाखा, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

1333

प्रो0 स्टीफन मराण्डी, माननीय सदस्य झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–16.03.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–नं0–58 का उत्तर :–

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि विगत तीन महीने से RRDA राँची में Town Planner का पद रिक्त है, जिससे आमजनों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि दिनांक 31.12.2015 से राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, राँची में नगर निवेशक का पद रिक्त है।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार शीघ्र RRDA, Ranchi में Town Planner के रिक्त पद पर नियुक्ति करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सहायक नगर निवेशक की नियुक्ति हेतु झारखण्ड लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी जा चुकी है। नगर निवेशन सेवा के नगर निवेशक तथा मुख्य नगर निवेशक के पदों पर संविदा के आधार पर सेवायें प्राप्त करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:– 1/न0वि0/स्था0–ता0–1/2016 1422 राँची, दिनांक:– 14/03/16

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय, राँची को उनके पत्र ज्ञाप संख्या–2090 वि0स0, दिनांक–08.03.2016 के आलोक में उत्तर सामग्री की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/03/16.

(राहुल कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

श्री दीपक बिरूवा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–16.03.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम–135 का उत्तर सामग्री :–

1324

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री दीपक बिरूवा, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है कि प0 सिंहभूम जिलांतर्गत सदर प्रखंड के डिलियामर्चा पंचायत में ग्राम–डिलियामर्चा से ग्राम–बारीजोल तक 3 कि0मी0 सड़क अत्यंत ही जर्जर अवस्था में है;	आंशिक स्वीकारात्मक। (वस्तुस्थिति यह है कि उक्त पथ में 300 मीटर पी0सी0सी0 एवं शेष भाग ग्रेड–1 सतह है)।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त पथ जर्जर होने के कारण स्थानीय ग्रामीणों को आवागमन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;	
3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार लोकहित में उक्त पथ का मरम्मति करने का का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में मरम्मति मद में बजटीय उपबंध सीमित है। अतः प्रश्नाधीन पथ का मरम्मति कार्य तत्काल लिया जाना संभव नहीं है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–358 / 16 ग्रा0का0वि 1365 राँची / दिनांक– 14.3.16

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–1347, दिनांक–22.02.16 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/3/16
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–358 / 16 ग्रा0का0वि 1365 राँची / दिनांक– 14.3.16

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

14/3/2016
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–358 / 16 ग्रा0का0वि 1365 राँची / दिनांक– 14.3.16

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा0का0मा0), झारखण्ड, राँची / विधान मण्डलीय शाखा, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

14/3/2016
सरकार के उप सचिव।

1335

श्री योगेश्वर महतो, मा० स० वि० स० द्वारा दिनांक–16.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– पेय–35 का उत्तर :–

<table>
<tr><th>क्र०</th><th>क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि –</th><th>श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर –</th></tr>
<tr><td>1</td><td>क्या यह बात सही है कि 17 (सत्रह) करोड़ रूपये की लागत से जैनामोड़ जलापूर्ति योजना का लाभ पाईप लाईन विस्तार के अभाव में बाँधडीह, उत्तरी खूँटी, ताँतरी उत्तरी, ताँतरी दक्षिणी टोला–मुहल्लों को नही मिल पा रहा है:–</td><td>वस्तुस्थिति यह है कि जैनामोड़ की कुल आबादी लगभग 51,785 है। जैनामोड के लिए एक बहु–पंचायत जलापूर्ति योजना का निर्माण किया गया जो वर्ष 2010 से चालू है। इसकी क्षमता 8MLD है तथा इसमें 61,179 मीटर के वितरण प्रणाली द्वारा जलापूर्ति की जा रही है। यह तेनु कैनाल पर आधारित है। बिछाये गये पाईप के अनुसार आच्छादित आबादी में 5918 गृह जल संयोजन लिया जाना था लेकिन अभी तक सिर्फ 2525 गृह जल संयोजन ही लिया गया है। यह योजना बहु–पंचायत जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा संचालित की जा रही है। योजना की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा है। बहु पंचायत ग्राम जल स्वच्छता समिति द्वारा गृह जल संयोजन के योजना को प्रभावी करने हेतु ग्रामीणों को प्रोत्सहित किये जाने की आवश्यकता है। छूटे हुए टोले यथा बाँधडीह उत्तरी खूँटी, ताँतरी उत्तरी, ताँतरी दक्षिणी टोला मुहल्लों में जलापूर्ति योजना क्षमता के अनुरूप सर्वेक्षण एवं Feasibility के आधार पर पाईप विस्तार पर विचार किया जायेगा।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>क्या यह बात सही है कि जैनामोड़ सहित अन्य लाभुक परिक्षेत्र का जलस्तर काफी नीचे जाने के कारण पेयजलापूर्ति के अन्य वैकल्पिक संसाधन बेकार हो गये है, जिससे पेयजलापूर्ति की गंभीर समस्या व्याप्त हो गई है:</td><td>इस योजना से आठ पंचायतो में जलापूर्ति की जाती है। इन पंचायतो मे कुल ड्रिल्ड नलकूप 590 भी हैं। नलकूपों की स्थिति निम्नवत है :–
<table>
<tr><th>कमांक</th><th>पंचायत का नाम</th><th>चालू नलकूप की संख्या</th></tr>
<tr><td>1</td><td>जैना</td><td>91</td></tr>
<tr><td>2</td><td>टांडमोहनपुर</td><td>56</td></tr>
<tr><td>3</td><td>टांडबालीडीह</td><td>65</td></tr>
<tr><td>4</td><td>खूटरी</td><td>76</td></tr>
<tr><td>5</td><td>बांधडीह उत्तर</td><td>69</td></tr>
<tr><td>6</td><td>बांधडीह पश्चिम</td><td>69</td></tr>
<tr><td>7</td><td>तांतरी उत्तर</td><td>82</td></tr>
<tr><td>8</td><td>तांतरी दक्षिणी</td><td>78</td></tr>
<tr><td colspan="2">कुल</td><td>586</td></tr>
</table>
सभी ग्राम एवं टोला पूर्ण रूप से आच्छादित है। इस प्रकार इन टोलों मे पेयजलापूर्ति की समस्या नहीं है।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>क्या यह बात सही है कि इस महत्वपूर्ण योजना का पुर्नगठन(विस्तार) कर इसके संचालन का दायित्व विभाग को अपने स्तर से करने से ग्रामीणों को इस योजना का शत–प्रतिशत लाभ मिल सकेगा;</td><td>उपर्युक्त कंडिका 1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>यदि उपरोक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त जनपयोगी योजना का विस्तार वंचित गांव टोलों में कराकर घर–घर तक शुद्ध पेयजलापूर्ति व्यवस्था बहाल कराने का विचार रखती है यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?</td><td>उपर्युक्त कंडिका यथा 1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।</td></tr>
</table>

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :–7/ ता0 प्र0–01–35/2015 1244 दिनांक :– 15/3/16

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं०–912 दिनांक–16.02.2016 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुरेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :– 7/ ता0 प्र0–01–35/2015 1244 दिनांक :– 15/3/16

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, प्रशाखा–05, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुरेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव
15/03/16

श्रीमती जोबा माझी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दि0–16.03.2016 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–118 1336

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्रीमती जोबा माझी, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत बन्दगाँव प्रखण्ड के चम्पाबा पंचायत में स्थित ग्राम– हेसाडीह जिन्दा नदी में पुलियाँ का होना अति आवश्यक है ;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त नदी में पुलिया के नहीं होने से विशेष कर वर्षात के दिनों में आवागमन पूर्णतः ठप हो जाता है, इससे कई गाँव के ग्रामीण प्रभावित हो रहे है ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। स्थल पर पुराना क्षतिग्रस्त चेक डैम है। जिसपर चलकर लोग आर–पार आते जाते है एवं स्थल से 4 कि0मी0 आगे हिरणी फॉल पर पुल है। बरसात के दिनों में जिसका उपयोग ग्रामीण करते हैं)।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त नदी में जनहित में पुलिया का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नही, तो क्यों ?	वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में माननीय स0वि0स0 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में एक योजना की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। सीमित बजट उपबंध रहने के कारण प्रश्नांकित पुल की स्वीकृति दिया जाना इस वित्तीय वर्ष में संभव नहीं है।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 84/2016/ग्रा0का0 1369 राँची, दिनांक : 14-3-16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–1115 वि0स0 दिनांक 17.02.2016 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आसिफ हसन) 14
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 84/2016/ग्रा0का0 1369 राँची, दिनांक : 14-3-16

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 84/2016/ग्रा0का0 1369 राँची, दिनांक : 14-3-16

प्रतिलिपि : विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

1337

श्री पौलुस सुरीन, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–16.03.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम–85 का उत्तर सामग्री :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री पौलुस सुरीन, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है कि राँची जिला अन्तर्गत खिजरी प्रखंड के ग्राम खिजरी नया कोचा टोला राजधानी से सटा हुआ है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि वहाँ लगभग 100 आदिवासी परिवार निवास करते हैं जिन्हें सड़क के अभाव में बरसात के दिनों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त बस्ती में सड़क जैसी मुलभूत सुविधा देने का विचार रखती है, यदि हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों?	वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में मा0 स0वि0स0 द्वारा अनुशंसित कतिपय पथों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। चालू वित्तीय वर्ष में बजटीय उपबंध सीमित है। अतः उक्त पथ वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में लिया जाना संभव नहीं है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–309 / 16 ग्रा0का0वि.....1366.....राँची / दिनांक– 14-3-16

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–801, दिनांक–14.02.16 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–309 / 16 ग्रा0का0वि.....1366.....राँची / दिनांक– 14-3-16

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–309 / 16 ग्रा0का0वि.....1366.....राँची / दिनांक– 14-3-16

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा0का0मा0), झारखण्ड, राँची / विधान मण्डलीय शाखा, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

(1338)

श्रीमती विमला प्रधान, माननीया स0वि0स0 द्वारा दिनांक 16.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–173 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0 सं0	प्रश्नकर्त्ता – श्रीमती विमला प्रधान, मा0स0वि0स0	उत्तरदाता– श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री (ग्रा0वि0वि0)
1.	क्या यह बात सही है कि सिमडेगा विधान सभा क्षेत्र में झारखण्ड राज्य आजीविका मिशन द्वारा महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप की सहायता के लिए एक भी प्रखण्ड को इस मिशन में शामिल नहीं किया गया है।	अस्वीकारात्मक वर्त्तमान में सिमडेगा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सिमडेगा जिला के पाकरटाँड प्रखण्ड एवं गुमला जिला के पालकोट प्रखण्ड में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है। पाकरटाँड प्रखण्ड में वित्तीय वर्ष 2015–16 से तथा पालकोट प्रखण्ड में 2013–14 से आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह के गठन एवं क्षमतावर्धन का कार्य प्रगति पर है।
2.	क्या यह बात सही है कि SHG के सहायता के लिए एक भी प्रखण्ड का चयन नहीं किये जाने से एक भी SHG को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, जिससे कि महिलाओं को अपने विकास या जीविका अर्जन का कोई लाभ नहीं मिल रहा है।	अस्वीकारात्मक पाकरटाँड प्रखण्ड में वित्तीय वर्ष 2015–16 से तथा पालकोट प्रखण्ड में 2013–14 से आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह के गठन एवं क्षमतावर्धन का कार्य प्रगति पर है।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार सिमडेगा विधान सभा क्षेत्र के प्रखण्डों को उक्त मिशन में शामिल करना चाहती है, यदि हाँ तो कबतक, यदि नहीं, तो क्यों ?	पाकरटाँड प्रखण्ड एवं पालकोट प्रखण्ड के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2016–17 में सिमडेगा प्रखण्ड को आजीविका मिशन में सम्मिलित करते हुए कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक 07–(वि0स0) –7/2016 (NRLM) 1509 /राँची, दिनांक 15/3/16

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0–2027/वि0स0 दिनांक 04.03.2016 के क्रम में 200 प्रति में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक 07–(वि0स0) –7/2016 (NRLM) 1509 /राँची, दिनांक 15/3/16

प्रतिलिपि :– श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री (ग्रा0वि0वि0) के आप्त सचिव/श्रीमती विमला प्रधान, माननीया स0वि0स0 के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री ताला मराण्डी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–16.03.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–पथ–70 का उत्तर सामग्री :– 1339

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री ताला मराण्डी, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिलान्तर्गत बोआरीजोर प्रखण्ड में सुन्दर जलाशय स्थपित है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि डैम निर्माण काल से डैम (जलाशय क्षेत्र) के पार ग्राम भवनाथपुर, भगवानपुर एवं अन्य कई गाँव है, जिनके आवागमन के लिए कोई स्थायी रास्ता/सड़क नही है, जिस कारण उक्त क्षेत्र में निवास करने वाले आदिवासी पहाड़िया ग्रामीणों को अपने कृत्रिम तरीके से बने नौका/ट्यूब के सहारे जलाशय क्षेत्र को पार कर अपने आवश्यक दैनिक उपयोग के सामान, पढ़ने वाले छात्र–छात्राओं एवं रोगियों को आना पड़ता है;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त ग्राम के ग्रामीणों के सुगम आवागमन के लिए पुल/सड़क निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में मा0 स0वि0स0 द्वारा अनुशंसित कतिपय पथों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। चालू वित्तीय वर्ष में बजटीय उपबंध सीमित है। अतः उक्त पथ वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में लिया जाना संभव नहीं है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–436/16 ग्रा0का0वि.....1377.....राँची/दिनांक–14-3-16

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–1809, दिनांक–29.02.16 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–436/16 ग्रा0का0वि.....1377.....राँची/दिनांक–14-3-16

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–436/16 ग्रा0का0वि.....1377.....राँची/दिनांक–14-3-16

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा0का0मा0), झारखण्ड, राँची/विधान मण्डलीय शाखा, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

1340

दिनांक 16.03.2016 को माननीय स०वि०स० श्री योगेश्वर महतो द्वारा सदन में पूछा जाने वाला प्रश्न संख्या ग्राम – 101

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री योगेश्वर महतो, माननीय स०वि०स०	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1.	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला के बेरमो विधान सभा क्षेत्र में पॉलटेकनीक से खुंटटी, गांगजोरी से बारभलीला, चिलगडा से गोपालपुर एवं अन्य महत्वपूर्ण सड़को का निर्माण PMGSY (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना) से हुआ है, जो खराब एवं जर्जर हो गया है।	आंशिक स्वीकारात्मक।
2..	क्या यह बात सही है कि PMGSY सड़को के निर्माण के पाँच वर्ष बाद मरम्मति आवश्यक है, जिससे लोगों को आवागमन में सुविधा हो सके।	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बेरमो विधान सभा में निर्मित पाँच वर्ष पुरा हो गये PMGSY सड़को की मरम्मति इसी वित्तीय वर्ष में कराने का जनहित में विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों।	वर्णित तीनों पथ का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत षष्टम चरण के तहत वित्तीय वर्ष 2010–11 में कराया गया था। तीनों पथों के Routine Maintenance की अवधि समाप्त हो गयी है। पथ आंशिक क्षतिग्रस्त है। निधि की अनुपलब्धता एवं विभागीय मरम्मति नीति के आलोक में इस वर्ष पथों की मरम्मति संभव नहीं है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–323 / 16 ग्रा०का०वि. 1364 राँची / दिनांक– 14.3.16

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा०वि०स० सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–935, दिनांक–16.02.16 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–323 / 16 ग्रा०का०वि. 1364 राँची / दिनांक– 14.3.16

प्रतिलिपि–मा० मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

14/3/16
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–323 / 16 ग्रा०का०वि. 1364 राँची / दिनांक– 14.3.16

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा०का०मा०), झारखण्ड, राँची / विधान मण्डलीय शाखा, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

(1341)

मा0, स0वि0स0, श्री शशि भूषण सामाड़ द्वारा दिनांक 16.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 – पथ 74 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि पथ निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत पथ निर्माण योजनाओं का शिलान्यास स्थानीय सांसद/विधायकों से नहीं कराया जाता है ; 2. क्या यह बात सही है कि ऐसा करने से स्थानीय MP/MLA की उपेक्षा होती है ; 3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पथ निर्माण कार्यों का शिलान्यास स्थानीय सांसद/विधायकों द्वारा कराने का निर्देश विभागीय स्तर पर जारी करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?	स्थानीय माननीय सांसद एवं स्थानीय माननीय विधायक को अनिवार्य रूप से आमंत्रित करने का निदेश है । पथ निर्माण विभाग द्वारा अनुपालन किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–86/2016 1809(S) राँची/दिनांक : 15/3/16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 2031 दिनांक 04.03.2016 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

ह० अस्पष्ट
15/03/2016
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–86/2016 1809(S) राँची/दिनांक : 15/3/16

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

ह० अस्पष्ट
15/03/2016
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

श्रीमती गीता कोड़ा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–16.03.2016 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम–146 का उत्तर सामग्री :– 1342

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्रीमती गीता कोड़ा, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत जगन्नाथपुर प्रखण्ड के ग्राम मालूका से सियालजोड़ा तक 10 किलोमीटर पथ की मरम्मति के लिए वित्तीय वर्ष 2012–13 में तकनीकी स्वीकृति की राशि 109.19 लाख एवं प्रशासनिक स्वीकृति की राशि भी 109.19 लाख है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त पथ मरम्मति के लिए 31 मार्च, 2015 तक 88.00 लाख रूपये व्यय हुई है और वित्तीय वर्ष 2015–16 में 21.080 लाख आवंटन प्राप्त है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत पथ हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 में 88 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2014–15 में 21.08 लाख रू0 विमुक्त किये गये है।
3. क्या यह बात सही है कि सड़क मरम्मति कार्य खराब गुणवत्ता के कारण सड़क उखड़ रहे है;	प्रश्नाधीन पथ पर भारी वाहनों का आवागमन निरंतर रूप से हो रहा है। पोकलेन जैसे भारी वाहनों के चलने से उस पर लोहे का चेननुमा निशान बन गया है। रेलवे के द्वारा थर्ड लाईन बिछाने के कारण इस पथ पर दबाव बढ़ गया है।
4. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पथ की गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित कराने एवं खराब गुणवत्ता के जिम्मेवार व्यक्तियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वर्त्तमान में पथ के कुछ पथाशों को छोड़कर शेष भाग अच्छी स्थिति में है। क्षतिग्रस्त पथाशं का मरम्मति कार्य संवेदक द्वारा छः माह पूर्व कराया गया था।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–374 / 16 ग्रा0का0वि. 1389 राँची / दिनांक– 14-3-16

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–1517, दिनांक–25.02.16 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–374 / 16 ग्रा0का0वि. 1389 राँची / दिनांक– 14-3-16

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–374 / 16 ग्रा0का0वि. 1389 राँची / दिनांक– 14-3-16

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा0का0मा0), झारखण्ड, राँची / विधान मण्डलीय शाखा, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

(1343)

मा0, स0वि0स0, श्री मनीष जयसवाल द्वारा दिनांक 16.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 – पथ 69 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत रिंग रोड का निर्माण कराई जा रही है जो बड़का गाँव से नगर परिषद क्षेत्र हजारीबाग होकर गुजर रही है ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित रोड का निर्माण 50 (पच्चास) साल को ध्यान में रखकर की जा रही है ;	उक्त पथ के निर्माण का रूपांकण 15 वर्ष के लिए किया गया है।
3. क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित रोड के निर्माण कार्य होने पर कई गाँवों के लोग प्रभावित हुए हैं, जिसका उक्त परिवारों को उचित मुआवजा नहीं मिल रही है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। वर्णित पथ के निर्माण कार्य के लिए कुल 20 गाँवों से जमीन अधिग्रहित करने का प्रस्ताव है। भू–अर्जन की प्रक्रिया के लिए झारखण्ड राज्य राजमार्ग प्राधिकार से 70 करोड की राशि दिनांक 20.04.2013 को जिला भू–अर्जन कार्य के लिए जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, हजारीबाग को हस्तानान्तरित की गयी है। उक्त राशि से मुआवजा भी दिया जाना है। प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा नहीं मिलने संबंधी कोई भी सूचना विभाग को नहीं है।
4. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में खण्ड–03 में वर्णित परिवारों को ससमय उचित मुआवजा देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?	प्रभावित लोगों को मुआवजा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, हजारीबाग द्वारा उपलब्ध कराया जाना है, जिसके लिए राशि जिला भू–अर्जन पदाधिकारी को उपलब्ध करा दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–78/2016 1788(3) राँची/दिनांक : 15/3/16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 1811 दिनांक 29.02.2016 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/03/2016
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–78/2016 1788(3) राँची/दिनांक : 15/3/16

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/03/2016
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

1344

दिनांक–16.03.2016 को श्री केदार हाजरा, माननीय स0 वि0 स0 द्वारा सदन में उठाये जाने वाले तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम–174

तारांकित प्रश्न	उत्तरदाता– माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग
1. क्या यह बात सही है कि प्रखण्ड मुख्यालय में कर्मचारी एवं पदाधिकारी को रहने के लिए सरकार द्वारा आवास बनाया जाता है;	स्वीकारात्मक
2. क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिलान्तर्गत देवरी मुख्यालय में बने सभी आवास जर्जर हो जाने के कारण कोई भी कर्मचारी, पदाधिकारी प्रखण्ड मुख्यालय में नहीं रहते हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक गिरिडीह जिलान्तर्गत देवरी प्रखण्ड मुख्यालय में बना अंचल अधिकारी का आवास अच्छी स्थिति में है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार देवरी प्रखण्ड मुख्यालय के जर्जर आवासीय भवन का निर्माण करने पर विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	प्रखण्डों के अन्तर्गत आवासीय भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में अपेक्षित बजटीय उपबंध नहीं है। आगामी वित्तीय वर्ष में अपेक्षित बजटीय उपबंध प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक–1–वि0स0–22 (बी0)/2016/ग्रा0वि0 1510 राँची, दिनांक– 15·3·16

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झा0 वि0 स0 सचिवालय को उनके ज्ञाप–2029 दिनांक–04.03.2016 के क्रम में उत्तर सामग्री की 200 प्रतियां सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/3/16
(अनिल कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–1–वि0स0–22 (बी0)/2016/ग्रा0वि0 1510 राँची, दिनांक– 15·3·16

प्रतिलिपि:– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग) के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

15/3/16
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–1–वि0स0–22 (बी0)/2016/ग्रा0वि0 1510 राँची, दिनांक– 15·3·16

प्रतिलिपि :– विभागीय प्रशाखा–4 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/3/16
सरकार के अवर सचिव।

माननीय विधायक श्री आलमगीर आलम, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक–16.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय0–59 का उत्तर

क्र0	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिये जाने वाला उत्तर:–

1 — क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी जिला के प्रत्येक पंचायत में वर्ष 2011 में चापाकल मरम्मति के लिए सामग्री क्रय हेतु दो लाख एवं प्रत्येक चापाकल के मजदूरी के लिए 245/–रु0 दिया गया था;

उत्तर: वित्तीय वर्ष 2010–11 में विभागीय स्वीकृत्यादेश सं. 117 दिनांक 05.03.2011 के द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित कुल 2.94 लाख अदद कार्यरत नलकूपों के मरम्मति एवं सम्पोषण हेतु केन्द्रांश से 441.2745 लाख एवं राज्यांश से 441.2745 लाख रूपये कुल 882.549 लाख रूपये की योजना स्वीकृत की गयी। इस योजनान्तर्गत प्रति चापाकल के सामग्रियों के क्रय हेतु 250/– रूपये एवं मजदूरी हेतु प्रति चापाकल 50/– रूपये स्वीकृति की गयी थी।

विभागीय आवंटन आदेश सं. 335 दिनांक 29.03.2011 के द्वारा केन्द्रांश से 441.2745 लाख एवं आवंटन आदेश सं. 374 दिनांक 30.03.2011 के द्वारा राज्यांश से 441.2745 लाख रूपये विमुक्त की गयी है।

इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्षवार किये गये व्यय निम्नवत है:–

राशि करोड़ में

वित्तीय वर्ष	विभाग द्वारा	पंचायत/भी.डब्लू. एस.सी. को हस्तानान्तरित राशि	कुल
2011-12	0	2.75	2.75
2012-13	10.84	1.39	12.23
2013-14	10.7	8.95	19.65
2014-15	7.71	3.87	11.58
2015-16	15.46	0	15.46
कुल	44.71	16.96	61.67

पंचायत/भी.डब्लू.एस.सी. के द्वारा विभाग को उपलब्ध करायी गयी उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रमाणक सहित जिसे महालेखाकार झारखण्ड के द्वारा समायोजित की गयी राशि निम्नवत है:–

राशि करोड़ में

वित्तीय वर्ष	पंचायत/भी.डब्लू.एस.सी. को हस्तानान्तरित राशि	महालेखाकार झारखण्ड के द्वारा समायोजित राशि
2011-12	2.75	2.75
2012-13	1.39	1.39
2013-14	8.95	1.02
2014-15	3.87	
2015-16	0	
कुल	16.96	5.16

अद्यतन रु0 11.80 लाख विभिन्न VWSC के पास अवशेष है, जिससे नलकूप मरम्मति की जा सकती है।

2 — क्या यह बात सही है कि प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के सदस्यों के अनुशंसा पर पांच चापाकल प्रत्येक पंचायत पर लगाना है;

उत्तर: अस्वीकारात्मक।
राज्य के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के सदस्यों की अनुशंसा पर पाँच चापाकल प्रति पंचायत नलकूप निर्माण से संबंधित योजना विचाराधीन नहीं है।

3	यदि उपरोक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पूर्व की तरह चापाकल निर्माण के लिए प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के सदस्यों से अनुशंसा लेने एवं खराब चापाकल मरम्मति के लिए राशि उपलब्ध कराने का विचार चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	मुखिया एवं जलसहिया के द्वारा नलकूपों की साधारण मरम्मति उचित रूप से नहीं किये जाने के कारण विधान सभा में गत बजट सत्र में प्राप्त निदेश के क्रम में सरकार के द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में वित्तीय वर्ष 2015–16 से नलकूपों की साधारण मरम्मति का कार्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। यह विभागीय निदेश 363/SWSM दिनांक 22.03.2015 के क्रम में किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में 95000 (पन्चानवें हजार) से ज्यादा नलकूप की साधारण मरम्मति की गई है। वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 हेतु राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित 3.36 लाख अदद कार्यरत नलकूप के रख–रखाव एवं साधारण मरम्मति हेतु 33.01 करोड़ की योजना प्रशासनिक स्वीकृति के प्रक्रियाधीन है। इस योजनान्तर्गत प्रति चापाकल के सामग्रियों के क्रय हेतु 720/– रूपये, मजदूरी हेतु प्रति चापाकल 212/– रूपये एवं अन्य खर्च 50/– रूपये कुल 982/– रूपये प्रति चापाकल प्रस्तावित है। यह मानक है। इससे कम व्यय सदैव सम्भव है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक: 8/वि0स0(ता0)–25/2016 (पेय0) 530/SWSM दिनांक 12-3-16

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञापांक 1506 वि0स0 दिनांक 25.02.2016 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/03/16
अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक: 8/वि0स0(ता0)–09/2016 (पेय0) 530/SWSM दिनांक 12-3-16

प्रतिलिपि: अवर सचिव (प्रशाखा–5), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/03/16
अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

श्री नागेन्द्र महतो, मा० स० वि० स० द्वारा दिनांक–16.03.2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– पेय–76 का उत्तर :–

क्र०	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग यह बतलाने की कृपा करेगें कि –	श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर –
1	क्या यह बात सही है कि बगोदर प्रखण्ड के बगोदर, बिरनी एवं सरिया में ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजना के तहत एक भी योजना स्वीकृत नहीं है;	अस्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि बगोदर प्रखंड के बगोदर, बिरनी एवं सरिया में पाईप जलापूर्ति योजना पूर्व से निर्मित है जिसकी स्थिति निम्न प्रकार है– 1.प्रखण्ड बगोदर– बगोदर ग्रामीण जलापूर्ति योजना – चालू 2.प्रखण्ड सरिया– सरिया ग्रामीण जलापूर्ति योजना– 1st Phase चालू, 2nd Phase का रेलवे द्वारा NOC प्राप्ति हेतु निधि रेलवे को हस्तांतरित किया गया है। NOC प्राप्त होते ही कार्य पूर्ण कर लिया जायगा। 3.प्रखण्ड बिरनी– बिरनी ग्रामीण जलापूर्ति योजना–बंद है। रोड चौडीकरण के क्रम में पथ प्रमण्डल, कोडरमा द्वारा पाईप लाईन क्षतिग्रस्त कर देने के कारण जलापूर्ति बंद है। पाईप लाईन मरम्मति हेतु कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त बगोदर, सरिया एवं बिरनी में चापाकलों से भी जलापूर्ति की जाती है जिसकी स्थिति निम्न प्रकार है–

क्र0	प्रखण्ड	जनसंख्या (2011)	कुल नलकूप की संख्या	चालू नलकूप की संख्या
1	बगोदर	1,58,094	1285	1077
2	सरिया	1,49,068	1378	1128
3	बिरनी	1,69,451	2014	1644

2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित प्रखण्डों में ग्रामीण पेयजलापूर्ति की गंभीर समस्या से जूझ रहे है;	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।
3	यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित प्रखण्डों में ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजना के तहत कार्य योजनाएँ स्वीकृत करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक नही तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :–7/ ता0 प्र0–01–54/2015 1113 दिनांक :– 8/3/16

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं०–1918 दिनांक–02.03.2016 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/16
(सुरेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :– 7/ ता0 प्र0–01–54/2015 1113 दिनांक :– 8/3/16

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, प्रशाखा–05, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/16
(सुरेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव
08/03/16

(1347)

श्री दशरथ गागराई, माननीय स0वि0स0 द्वारा दि0–16.03.2016 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–172

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री दशरथ गागराई, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
1. क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत चक्रधरपुर प्रखण्ड के इटोर पंचायत में उलीबेड़ा और मानीसाई के बीच नदी पर पुल का निर्माण अबतक नहीं हुआ है ;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि उलीबेड़ा और मानीसाई के बीच लगभग 1 कि0मी0 कच्ची सड़क होने के कारण बरसात के दिनों में ग्रामीणों को काफी परेशानी होती है ;	स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उलीबेड़ा और मानीसाई के बीच पक्की सड़क का निर्माण एवं नदी पर पुल का निर्माण वित्तीय वर्ष 2016–17 में करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नही, तो क्यों ?	अगले वित्तीय वर्ष में माननीय स0वि0स0 से प्राप्त प्राथमिकता सूची में यदि उक्त को शामिल किया जाता है तो बजट उपबंध के आलोक में उसके निर्माण पर विचार किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

(ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 103/2016/ग्रा0का0 1379 राँची, दिनांक : 14-3-16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–1919 वि0स0 दिनांक 02.03.2016 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आसिफ हसन)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 103/2016/ग्रा0का0 1379 राँची, दिनांक : 14-3-16

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 7 (वि0स0) – 103/2016/ग्रा0का0 1379 राँची, दिनांक : 14.3.16

प्रतिलिपि : विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव